For More Newspapers And Magazines Join Paid Group Whatsapp To 8969469464

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 9 फरवरी, 2024

दैनिक जागरण

आसान कार्य भी आरंभ में कठिन प्रतीत होता है

## श्वेत और स्याह पत्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संप्रग शासन के समय के आर्थिक कुप्रबंधन को प्रकट करने वाले श्वेत पत्र में यह जो कहा गया कि तत्कालीन सरकार के तौर-तरीकों से कमजोर अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी, उससे असहमत होना कठिन है। यह स्पष्ट ही है कि कांग्रेस को यह श्वेत पत्र रास नहीं आया और इसीलिए उसने मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर आनन-फानन अपना स्याह पत्र पेश किया और यह गिनाया कि कैसे यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। कांग्रेस यह सब करके इस तथ्य को नहीं नकार सकती कि मनमोहन सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में किस तरह नीतिगत पंगुता का शिकार बन गई थी। यह नीतिगत पंगुता इस हद तक थी कि खुद तत्कालीन आर्थिक सलाहकार ने यह कहा था कि अब इस पंगुता को चुनाव बाद ही दूर किया जा सकता है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संप्रग शासन के समय किस प्रकार घपले-घोटालों की झड़ी लग गई थी। इनमें बैंक घोटाले भी शामिल थे। मोदी सरकार के समय जो तमाम बैंक घोटाले सामने आए और जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, उनकी नींव मनमोहन सरकार के समय ही पड़ी थी। इन घपलों-घोटालों को लेकर मनमोहन सिंह ने कहा था कि गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं। यह संप्रग शासन के आर्थिक कुप्रबंधन के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम न लग पाने का ही दुष्परिणाम रहा कि 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई थी। यदि सब कुछ सही था तो फिर कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों हुई?

श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस की ओर से लाए गए स्याह पत्र की मानें तो मोदी सरकार के दस वर्षों का कार्यकाल अन्याय का काल रहा है। कांग्रेस ने इस स्याह पत्र के जरिये आर्थिक के साथ राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर भी मोदी सरकार की कथित असफलताओं की सूची पेश की है। निःसंदेह ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार की कमियों और कमजोरियों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी इसे तो अनदेखा नहीं ही कर सकते कि आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जब प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती का शिकार हैं, तब विश्व बैंक से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तक यह मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार मजबूत हैं और वह साढ़े छह-सात प्रतिशत की विकास दर हासिल करती रहेगी। यदि कांग्रेस को मोदी सरकार के आंकड़ों पर यकीन नहीं तो क्या उसे वैश्विक संस्थाओं के आंकड़ों और आकलन पर भी भरोसा नहीं? क्या वह इसे नकार सकती है कि मोदी सरकार राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के साथ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में सफल रही है? इसी तरह क्या वह इस बात को ओझल कर सकती है कि बीते दस वर्षों में आधारभूत ढांचे का द्रुत गति से विकास हुआ है? यह तो सबको दिख रहा है।

## सड़कों पर आतंक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सृष्टि अपार्टमेंट में साइकिलिंग कर रहे सात वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्ते के हमले की घटना सिहराने वाली है। साथ ही नगर निगम प्रशासन के लिए इस बात की चेतावनी भी कि इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो नगरीय जनजीवन को और भी विषम स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सड़कों पर झुंड बनाकर घूमते आवारा कुत्ते महानगरों की बड़ी समस्या बन चुके हैं और हर जगह लोगों को उनके अचानक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में तो कुत्ते के काटने की वजह से ही एक बच्चे ने पिता की गोद में दम तोड़ दिया था। बरेली, बदायूं, बागपत सहित कई जनपदों में भी खूंखार कुत्तों के हमले में बच्चों की मौत हुई। महानगरों की आवासीय कालोनियां भी सुरक्षित नहीं हैं। सड़क के कुत्ते कालोनियों में घुसकर लोगों पर हमला बोल देते हैं। लखनऊ के जिस अपार्टमेंट की चर्चा हो रही है, वहां ही आधा दर्जन लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं। आतंक का हाल यह है कि कई अपार्टमेंट में तो लोगों ने सुबह टहलना ही छोड़ दिया है और बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं निकल रहे। कभी रात में बदमाशों से जितना डर नहीं लगता था, अब उससे अधिक आवारा कुत्तों से लोगों को लग रहा है। जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवारा कुत्तों की समस्या पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन नगर निगम असहाय नजर आता है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो नगर निगम कुत्तों को पकड़ने का अभियान जरूर शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बंद कर दिया जाता है। इन पर नियंत्रण का एक ही चारा है कि उनकी नसबंदी की जाए, लेकिन यह कार्य भी सिर्फ आंकड़ेबाजी तक ही सीमित है। सरकार ने कई निकायों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाए जरूर हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं। वस्तुतः सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके समाधान की योजना बनानी चाहिए।

# रंग लाएगा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

सुरेंद्र किशोर

**चूंकि जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अभियान पर विराम लगते नहीं देखना चाहती, इसलिए यदि मोदी सरकार और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए तो हैरानी नहीं**

अवधेश राजपूत

आजादी के कुछ समय बाद चर्चित जीप घोटाले के साथ ही कांग्रेस सरकार ने देश में भ्रष्टाचार का जो पौधा रोपा था, उसकी जड़ें समय के साथ और गहरी होती गईं। जीप घोटाला साबित हो जाने के बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी हस्ती का नाम सामने आ रहा था। विपक्षी दलों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज की तो तत्कालीन गृहमंत्री ने संसद में विपक्ष को चुनौती दी कि अगले चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ लीजिएगा और इस केस को अब बंद कर दिया गया है। कांग्रेस के इसी रवैये के चलते देश में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सार्वजनिक धन की लूटपाट चलती रही और लोग गरीब बने रहे। आज स्थिति यह है कि चार मौजूदा मुख्यमंत्रियों, दो उपमुख्यमंत्रियों और 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में विभिन्न अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं या जांच एजेंसियां उनके खिलाफ सक्रिय हैं। इस मामले में अन्य तमाम नेताओं के खिलाफ मामलों का अंबार लगा हुआ है। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नेताओं के खिलाफ मामले कभी नहीं चले थे। आज हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं?

यह स्थिति रातोंरात निर्मित नहीं हुई। भ्रष्टाचार की गंभीरता को समझते हुए 1963 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डी. संजीवैया को यह कहना पड़ा था कि '1947 में जो कांग्रेसी भिखारी थे, वे आज करोड़पति बन बैठे। झोपड़ियों का स्थान शाही महलों ने और कैदखानों का स्थान कारखानों ने ले लिया है।' फिर 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो यहां तक स्वीकार कर लिया कि केंद्र सरकार दिल्ली से जो एक रुपया यानी सौ पैसे भेजती है, उनमें से लोगों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मनमोहन सिंह ने 1998 में यह दुखड़ा रोया था कि इस देश की पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि गठबंधन वाली सरकार चलाते रहने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन वह मौन धारण किए रहे। हालांकि नरेन्द्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद यह रवैया बदला, जिन्होंने पहले ही एलान कर दिया था कि 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा।' हाल में उन्होंने संसद में कहा, 'जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें लौटाना पड़ेगा।'

भ्रष्ट नेताओं पर मजबूत हो रहे शिकंजे से तिलमिलाए कांग्रेस तथा अन्य दल यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बदले की भावना से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर ऐसा है भी तो फिर इन नेताओं को अदालतों से क्यों नहीं राहत मिल रही? चूंकि जनता भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखकर खुश है, इसलिए उसने मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाकर भेजा और उनके तीसरे कार्यकाल को लेकर भी कोई संदेह नहीं दिख रहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि हमें ऐसा प्रशासनिक तंत्र विकसित करना है, जिसमें भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी ने जांच एजेंसियों को भी खुली छूट दी हुई है कि भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर न बचने पाएं। भ्रष्टाचार असल में कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। यह देश को तबाह कर रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि 'जब काम की बात करो तो लोग कहते हैं कि इसमें मेरा क्या? जब उनका हित नहीं सधता तो कहते हैं कि मुझे क्या? इस मेरा क्या और मुझे क्या ने देश को बर्बाद कर दिया है।' वह 2014 से ही ऐसी बातें कहते आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी के कड़े रवैये के परिणाम भी सामने हैं। उनकी दस साल की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया। शायद देश ने पहली बार ऐसा दौर देखा है। भ्रष्टाचार के समूल नाश की उम्मीद बढ़ी है। मोदी सरकार में कर चोरी और सरकारी खजाने से रिसाव भी रुका है। कर राजस्व तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जनकल्याण से जुड़ी कई अभूतपूर्व योजनाएं लागू की गई हैं। सैन्य बलों का सशक्तीकरण किया जा रहा है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित हुआ है। ये उत्साहजनक संकेत हैं।

इससे पहले देश ने वह दौर भी देखा, जब कांग्रेस सरकारों ने भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामलों को रफा-दफा करने के हरसंभव प्रयास किए। बोफोर्स और हवाला कांड तो मिसाल ही बन गए। उन मामलों को इतना कमजोर कर दिया गया कि फरवरी 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोफोर्स मामला बंद कर दिया। सीबीआइ ने उसके खिलाफ अपील तक नहीं की, जबकि उसका ठोस आधार बनता था। तब केंद्र में कांग्रेस सरकार ही थी। पिछली सदी के अंतिम दशक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा को यह कहना पड़ा कि सीबीआइ ने हवाला कांड की जांच तक नहीं की। यदि न्यायपालिका के शीर्ष पर सरकार को लेकर ऐसे विचार प्रकट किए गए हों तो स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

भ्रष्टाचार के आरोपितों ने मोदी के सत्ता में आने से पहले 'बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय' वाली सरकारें ही देखी थीं। 2014 में सत्ता में आने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से कहा था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लोगों ने 2019 के चुनाव में उन्हें और बड़ा बहुमत दे दिया। ऐसा लग रहा है कि देश की आम जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे मोदी सरकार के इस अभियान पर विराम लगते नहीं देखना चाहती। इसलिए यदि मोदी पिछली बार से और बड़े बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएं तो इस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह बात प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास में भी झलक रही है, जिन्होंने संसद से ही शंखनाद किया कि इस बार भाजपा अकेले 370 से अधिक सीटें लाने जा रही है। मोदी का दावा बेमानी भी नहीं लगता, क्योंकि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के बारे में तो उसके सहयोगी दलों को ही संदेह लग रहा है कि क्या वह 40 सीटें भी जीत पाएगी। विपक्षी खेमे में खलबली और भाजपाई खेमे में सहजता का भाव आम चुनाव की इबारत को स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

# जिंदगी बदलता जल जीवन मिशन

गजेंद्र सिंह शेखावत

**जल जीवन मिशन स्वास्थ्य जोखिमों को घटाने के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी ला रहा है**

अतीत की बात बनती पानी की कमी। फाइल

भारत आज जल क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश और व्यापक लक्ष्यों के साथ कार्य करने वाला दुनिया का शीर्ष देश है। इस लिहाज से सबसे अहम है जल जीवन मिशन (जेजेएम) की सफलता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भी है कि जल जीवन मिशन का विजन लोगों तक पानी पहुंचाने का तो है ही, साथ ही यह विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। यह ग्राम-संचालित और नारी शक्ति-संचालित है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। जेजेएम आज भारत की विकास नीति और दृष्टि की सफलता की जमीनी गवाही दे रहा है। 14 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा शुद्ध जल यह बताता है कि हम सिर्फ सरपट विकास की ओर नहीं भाग रहे, बल्कि आम लोगों के जीवन में बुनियादी बदलाव के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इससे उत्तराखंड के क्यारकुली भट्टा गांव से पलायन रुक गया है। झारखंड के आदिवासी गांव कुसुमडीह में मानव-पशु संघर्ष में कमी आई है तो महाराष्ट्र के चांदपुर गांव की गलियों में शहनाई की आवाजें फिर से गूंजने लगी हैं। इन तीन गांवों में ही नहीं, बल्कि ऐसे हजारों गांवों में जल जीवन मिशन से आया परिवर्तन आज साफ दिखता है। यह मिशन न केवल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी वरदान साबित हो रहा है, बल्कि महिला सशक्तीकरण और ग्रामीणों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

जल जीवन मिशन ने 73.98 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। यह बड़ी बात है कि 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया जा चुका है। अगस्त 2019 में ऐसे घरों की संख्या महज 3.23 करोड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 में लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी। इस मिशन के तहत ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार की दिशा और दशा निर्धारित की गई, जो आजादी के 75 साल बाद भी नल से जल सरीखी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थी। देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन की यात्रा शुरू हुई थी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि देश के किसी भी नागरिक को जल आपूर्ति से वंचित न रहना पड़े। भारत की विशालता और भौगोलिक विविधता के लिहाज से यह एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने समुदायों, भागीदारों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाकर अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार की। एक ही व्यवस्था सभी क्षेत्रों में लागू नहीं की जा सकती थी। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जमने की समस्या थी तो रेगिस्तानी और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की कमी थी। कहीं ग्रामीण बस्तियां दूर-दूर थीं तो कुछ जगहों पर प्रदूषण की बड़ी समस्या थी। इसलिए 'कोई भी पीछे न छूटे' की थीम के साथ जल जीवन मिशन ने सभी तरह की चुनौतियों से निपटते हुए अपनी राह बनाई। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में इंसुलेटेड पाइप का उपयोग किया गया। जिन बस्तियों में पानी की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें थीं, वहां के लिए मल्टी-विलेज योजना बनाई गई। साथ ही पीने और खाना पकाने के लिए सामुदायिक जल शोधन संयंत्र जैसे अल्पकालिक उपाय भी किए गए। ये उपाय उपयोगी सिद्ध हुए।

जल जीवन मिशन का प्रभाव केवल जल उपलब्धता तक सीमित नहीं है। इसमें ग्रामीण समुदायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता भी शामिल है। यह जहां स्वास्थ्य जोखिमों को कम कर रहा है, वहीं लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी ला रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डा. माइकल क्रेमर ने कहा है कि सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने से नवजात मृत्यु दर में 30 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हर घर जल की आपूर्ति सुनिश्चित होने से डायरिया से होने वाली चार लाख मौतों को कम किया जा सकता है। जेजेएम से 8.37 लाख करोड़ रुपये तक की आर्थिक बचत का आकलन भी किया गया है। जेजेएम से हर दिन पानी की व्यवस्था करने में लगने वाले समय में छह करोड़ घंटे से भी अधिक की बचत संभव है। इससे महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि आम तौर पर महिलाएं ही पानी की व्यवस्था करती हैं।

जेजेएम के तहत ग्रामीण इलाकों में 'नल जल मित्र' पहल भी शुरू की गई है, ताकि ग्रामीण आबादी को पंप संचालन और जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों में कुशल बनाया जाए। इसके तहत अब तक 5.14 लाख से अधिक ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां/पानी समितियां गठित हो चुकी हैं। 5.12 लाख विलेज एक्शन प्लान तैयार कर लिए गए हैं। फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग कर पानी के नमूनों की जांच करने के लिए 23.68 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। अपने शुरुआती चरण में इससे औसतन 59.93 लाख लोगों को प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष और 2.22 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। कार्यान्वयन और रख-रखाव चरण के दौरान इस मिशन से अतिरिक्त 11.18 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिवर्ष रोजगार मिला। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने से समाज आत्मनिर्भर हुआ और ग्रामीण विकास को नए पंख लगे। देश में पानी की स्वच्छता जांचने के लिए आज 2,118 लैब काम कर रही हैं। मामूली दरों पर पानी के नमूनों की जांच की जा रही है, ताकि हर परिवार को स्वच्छ जल मुहैया कराया जा सके। सरकार का लक्ष्य एक ऐसे भारत का निर्माण है, जहां सभी के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो, पानी की कमी अतीत की बात हो जाए और किसी ग्रामीण परिवार को जीवन के इस अमृत के लिए मशक्कत न करनी पड़े।

(लेखक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

## खुद को बदलें

चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में आंकना और सामर्थ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना ही उन्नति एवं सार्थकता का मार्ग है। विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे मनुष्य न कर सके। बस मन-मस्तिष्क में कार्य के प्रति लगन होनी चाहिए। यही वह चुनौतीपूर्ण क्षण है, जो आपको जीवन में कुछ अनूठा एवं सार्थक करने का परिवेश देता है। आप ब्रह्मांड में इच्छा का बीज बोएंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको आपकी वह वस्तु दिलाने के लिए जुट जाएगा। आप आसमान को देखकर यह कह सकते हैं, 'यह कितना नीरस है' या यह कह सकते हैं-'यह कितना बड़ा है।' यह बस मस्तिष्क को अनुकूलित करने की बात है। जैसा कि रूमी ने कहा, 'अपने आपको परिपक्व बनाएं और परिवर्तन के बुरे नतीजों के बारे में आशंकित न हों। उजाला बनें।' यानी संकट के समय खुद रोशनी बनें और दूसरों को भी प्रकाशित करें।

महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें वह परिवर्तन खुद में करना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं। जरूरत है हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। उन सभी खिड़कियों को बंद कर दें जिनसे आने वाली गंदी हवा मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। जीवन की समझ होना बेहद जरूरी है। उसके साथ चरित्र और माध्यम की समझ भी उतनी ही जरूरी है।

कुछ महान करने के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते। हम दूसरों के किए हुए में कमियां निकालने में लगे रहते हैं और दूसरे सब बातों से बेपरवाह एक के बाद एक सफलता अपने नाम करते जाते हैं। हम पूर्णता की चाह में अटके रहते हैं और दूसरे आधे-अधूरे काम करते हुए बढ़ते जाते हैं। ओशो कहते हैं, 'जीवन महान चीजों से नहीं, छोटी-छोटी चीजों से बनता है। इसलिए अपूर्णता की निंदा न करें। खुद को बदलें।'

ललित गर्ग

# बाजार के हवाले वैवाहिक आयोजन

डा. महेश परिमल

**अब शादियां मैरिज प्लान के अंतर्गत होने लगी हैं। वैवाहिक आयोजन पूरी तरह से एक बिजनेस का हिस्सा हो गए हैं**

फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का अधिकतर हिस्सा शादी पर केंद्रित है। इस फिल्म में शादी की सारी रस्में घर पर मनाते दिखाई गई हैं। सचमुच पहले शादियां घरों में ही होती थीं। जो कई दिनों का आयोजन होता था। अब शादी के पवित्र बंधन की बात कहीं दब गई है। अब यह पूरी तरह से एक बिजनेस का हिस्सा हो गया है। इन दिनों मध्यम वर्ग परिवार में भी शादी का खर्च अब लाखों में आने लगा है। यह वर्ग भी अपनी संतानों की शादी में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। भले ही कर्ज लेना पड़े। ऐसी बात नहीं है कि सस्ती शादियां हो ही नहीं रही हैं। सामूहिक विवाह में शादियां सस्ते में होने तो लगी हैं, पर उसमें शामिल लोगों में वह उत्साह दिखाई नहीं देता। यही हाल मंदिरों एवं सेवाभावी संस्थाओं द्वारा आयोजित विवाह समारोहों का है।

वास्तव में अब शादियां मैरिज प्लान के अंतर्गत होने लगी हैं। लोग विभिन्न तरह के प्रबंधन से बचने लगे हैं। इसलिए बाजार में प्रबंधन कंपनियां सामने आने लगी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल आदेश करें, काम हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक यही है कि आपकी जेब कहां तक इसकी इजाजत देती है। जब तक आपकी जेब में पैसा है, तब तक आपके सारे काम तुरंत होते जाएंगे। पहले शादी के एक दिन मंगल गीतों का कार्यक्रम हुआ करता था, जिसमें परिवार के लोग ही शामिल होते थे। अब ऐसा नहीं होता, इसके लिए भी मैरिज प्लान करने वाली एजेंसियां तैयार हैं। वे ही इस मंगल गीतों के कार्यक्रम के लिए पेशेवर संगीतकारों एवं उसमें डांस करने वालों का चयन करते हैं। यह कार्यक्रम भी पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गया है। विभिन्न तरह के लोगों के शामिल होने से उनकी पसंद के भोजन की अलग से व्यवस्था होने लगी है। एक से एक व्यंजनों के माध्यम से लोगों को लुभाने की कोशिशें भी होने लगी हैं।

आलीशान शादी के बजट में मेनू सर्विस और कैटरिंग सर्विस पर 30 प्रतिशत, गिफ्ट पर 19 प्रतिशत, डेकोरेशन पर 14 प्रतिशत, इवेंट प्लानिंग पर 12 प्रतिशत, हनीमून पर आठ प्रतिशत, फोटोग्राफी पर तीन प्रतिशत खर्च होता है। देश में हर साल शादी के लिए खरीदे जाने वाले जेवरात पर 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। चार हजार करोड़ रुपये के होटल रूम बुक किए जाते हैं। 10 हजार करोड़ रुपये कपड़ों पर खर्च होते हैं। इसमें प्री-वेडिंग का खर्च शामिल नहीं किया गया है। यह भी एक खर्चीला कार्यक्रम है, जिसमें वर-वधू शादी के पहले विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर विभिन्न मुद्राओं में अपनी तस्वीर खींचवाते हैं। जाहिर है लोग बेतहाशा खर्च करने में पीछे नहीं रहना चाहते। ऐसे में आम आदमी की दशा क्या होती होगी? इसे आसानी से समझा जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

### विकृत मानसिकता से इतिहास लेखन

'विकृत इतिहास लेखन के दुष्परिणाम' शीर्षक से लिखे आलेख में हरेंद्र प्रताप ने कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया है। इतिहास का अर्थ है जो हुआ उसका वर्णन, किंतु भारत के संदर्भ में कुछ प्रतिभाओं ने अपनी विचारधारा के वशीभूत भारत का विकृत इतिहास प्रस्तुत किया और उन्हें इतिहास लेखन के पुरोधाओं में शामिल किया गया। न जाने कितने लोगों ने ऐसे विकृत इतिहास को पुष्ट करते हुए पीएचडी तक की डिग्रियां हासिल कीं और कितनी ही पीढ़ियों को गलत इतिहास पढ़ाया। खैर, जो हुआ उसे तो पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। अब हर भारतीय को अपने प्रजातंत्र की राष्ट्रीय पुस्तक संविधान को आत्मसात करते हुए अपने हर कार्य का निर्वहन करना चाहिए। ठीक ही कहा है कि ईश्वर मनुष्य को सत्ता और शक्ति स्वयं के उत्थान और समाज के कल्याण के लिए प्रदान करते हैं। जो लोग ऐसा कर पाते हैं वे ही इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, न कि स्वार्थी लोग। इतिहास गवाह है कि जिस भी समाज ने अपने सही इतिहासबोध का सहारा लेकर कार्य किए वे दुनिया को राह दिखा पाए। गलती यदि हो जाती है तो उसे स्वीकार कर, उससे सबक लेकर आगे बढ़ा जाता है। हमारी युवाशक्ति के पास आज ज्ञान के अनेक द्वार खुले हैं। वे घिसी-पिटी परिपाटी को न अपनाकर सही जानकारी के आधार पर आगे बढ़ें और देशहित को सर्वोपरि मानें। समस्या चाहे कितनी भी विकट हो, किंतु मनःस्थिति यदि विकृत न हो तो आपसी संवाद से हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। सही इतिहासबोध इस कार्य में बहुत सहायक होता है। आज जो मंदिर-मस्जिद के झगड़े हैं इनसे पार पाने के लिए जरूरी है कि इतिहास की सही तस्वीर को सामने रख सभी पक्ष संवाद को तरजीह दें। आपसी निपटारे से समस्याओं के समाधान सामाजिक सौमनस्य के लिए न्यायालयों के निपटारे से अधिक कारगर सिद्ध हुए हैं, इतिहास इसका साक्षी है।

yograj62@gmail.com

### दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई

मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ बहुत ही दिल दहलाने वाला है। देश में पटाखा फैक्ट्री में ऐसा हादसा होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। अब फिर सरकार, प्रशासन और अन्य भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही कुछ लोगों की जान पर भारी पड़ गई। जिस देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, जहां सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार के दलदल में हो, वहां भविष्य में भी ऐसे हादसों पर शायद ही लगाम लगे, क्योंकि यहां पैसे के लिए अवैध और असुरक्षित निर्माण भी खूब होते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद फिर से सरकार, प्रशासन और अन्य कुंभकर्णी नींद से जगे हैं और इसकी जांच के आदेश के और कुछ मुआवजे का मरहम लगाकर अगले किसी ऐसे दिल दहलाने वाले हादसे के इंतजार में लंबी तान के सो जाएंगे, लेकिन ऐसे हादसे क्यों होते हैं? इनके लिए कौन-सी लापरवाहियां जिम्मेदार हैं? आखिर क्यों नहीं ऐसे हादसों से सबक लेते हुए अपने यहां आग, भूकंप या अन्य हादसों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करते हैं?

raju09023693142@gmail.com

### आगे आए न्यायपालिका

यह सच है कि मुगल शासकों ने अपनी झूठी शान के लिए देश के मंदिरों को ध्वस्त किया। औरंगजेब से लेकर अंग्रेजों तक और अंग्रेजों से लेकर मौजूदा समय में भी धर्म और जाति के बीच विभाजन की लकीर खींच कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं कुछ लोग। इतिहास गवाह है कि मुगल शासकों ने बहुत से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाईं। प्राचीन समय में लेखनी राजाओं के दबाव में आकर ही चलती होगी। इसी का नतीजा है कि मुगलों का महिमामंडन किया गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण और ज्ञानवापी के लिए वैसा ही फैसला लेना चाहिए, जैसा भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए लिया। देश का सर्वोच्च न्यायालय इस पर जो भी फैसला लेगा, उसका सभी लोगों को स्वीकारना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

### मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

********

**2.33** लाख लोगों के सुझाव आए थे उत्तराखंड में सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में विधेयक तैयार किए जाने से पूर्व मांगे गए सुझावों के क्रम में, सभी वर्गों की ओर से।

ज्ञानेंद्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार

समान नागरिक संहिता

# देश नवनिर्माण की आसान बनेगी राह

**उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर दिया है। निश्चित रूप से यह संहिता दूसरे राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक का काम करेगी। साथ ही इससे देश से रूढ़िवादी मानसिकता के खात्मे और नए भारत के निर्माण की राह आसान हो सकती है। इससे महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी। ऐसे अद्भुत प्रयास के लिए उत्तराखंड का योगदान इसलिए भी प्रशंसनीय है, क्योंकि लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले पर उसने पहल की है**

एक विधिवत समिति का गठन करते हुए उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार किया है। प्रतीकात्मक

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक न केवल विधानसभा में पारित कर नया इतिहास रचा है। नया इतिहास इसलिए कि कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के दौर से ही यूसीसी लागू है। वहां पुर्तगालियों के शासन के समय सिविल कोड लागू था, वह भी व्यक्तिगत नागरिक मामलों के लिए। गोवा के पुर्तगालियों के चंगुल से आजाद होने के समय एक आदेश द्वारा पुराने जारी कानून को यथावत रखने का प्रविधान किया गया। यही वजह है कि गोवा में अभी भी समान नागरिक संहिता चल रही है।

उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा इस विधेयक के प्रारूप को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। इस विधेयक की विशेषता यह रही कि इसमें बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं को आपराधिक कृत्य बनाने तथा लिव-इन में रह रहे जोड़ों के बच्चों को भी सभी अधिकार दिए जाने का प्रविधान है, जिनमें कुछ मुद्दों पर विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा धार्मिक आजादी के हनन की संज्ञा दी गई, जबकि इस विधेयक जिसे सत्तापक्ष ने सभी वर्गों को साथ लेने वाला विधेयक बताया है, जिसमें सभी वर्गों की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष रखने, शादी के छह माह के भीतर अनिवार्य तौर पर पंजीकरण करवाने, जिस आधार पर पति तलाक ले सकता है, उसी आधार पर पत्नी द्वारा भी तलाक की मांग किए जाने, पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी यानी बहुविवाह पर सख्ती से पाबंदी, लड़के व लड़कियों को समान अधिकार, लिव-इन में रहने के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता और विवाहित पुरुष या महिला के लिव-इन में रहने पर पाबंदी, सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए अपनी संपदा की वसीयत करने व बच्चों को उस दंपत्ति का जैविक बच्चे का अधिकार दिया गया है।

**कई देशों में है प्रविधान** : विश्व में बहुतेरे ऐसे देश हैं, जहां समान नागरिक संहिता है। यही नहीं, बहुतेरे देशों में बिना किसी जाति-धर्म में भेदभाव किए समान कानून लागू हैं। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि वर्ष 2022 में सऊदी अरब में महिला अधिकारों, तलाक, विवाह की न्यूनतम उम्र को लेकर अपनी संहिता बनाई गई। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि देशों में इस तरह के प्रविधान हैं, लेकिन वहां इन कानूनों को लेकर किसी भी तरह की विसंगति नहीं है। तात्पर्य यह कि वहां किसी को भी किसी प्रकार की खास शिकायत नहीं है। ऐसे में विचारणीय यह है कि फिर हमारे यहां ही इसका इतना विरोध क्यों? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि कुछ कट्टरपंथी और निहित स्वार्थी मानसिकता वाले लोग और राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते वोटों की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। उन लोगों के अनुसार हमारा देश विविध संस्कृतियों, भाषाओं, प्राकृतिक वैविध्य और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का देश है। उन लोगों के अनुसार यहां विविधता में ही एकता के दर्शन होते हैं, क्योंकि विविधता ही इसकी पहचान है। समान नागरिक संहिता से सब कुछ एकरस हो जाएगा और देश अपनी विविधता तथा मूल प्रकृति खो देगा। इसे किसी भी किस्म पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह देश के विरोधी दलों की एकमुश्त राय है। फिर देश का मुस्लिम तबका भी यह मानता है कि यह उनके मजहबी विचारों के विरुद्ध है, लिहाजा यह उन पर सुनियोजित हमला है।

यहां इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आजादी के बाद से कई ऐसे मौके आए हैं, खासकर 1973 के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुतेरे मामलों पर ऐसी टिप्पणी की है कि समान नागरिक संहिता इस देश के लिए आवश्यक है। इसे जितनी जल्दी हो लाया जाना चाहिए। पर्सनल सिविल ला को ही लें, उसमें महिलाओं और पुरुषों में असमानता जगजाहिर है। पर्सनल सिविल ला में महिला अधिकारों का हनन कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब सभी को समान अधिकार की बात की जाती है, उस दशा में महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? पर्सनल सिविल ला तो महिलाओं के साथ भेदभाव की जीती जागती मिसाल है। इसे कायम रखकर समान अधिकार की बात बेमानी है। इसे धार्मिक बाना पहनाकर महिलाओं के साथ भेदभाव की इजाजत नहीं दी जा सकती।

उल्लेखनीय है कि हमारे यहां व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर सभी कानून संविधान सम्मत हैं। हमारे यहां आजादी मिलते समय संविधान में उस समय व्यक्तिगत मामलों को इस आशय से छोड़ा गया था कि अभी-अभी देश का बंटवारा हुआ है। इसलिए उस समय यह माना गया कि समान नागरिक संहिता लाने का उचित समय नहीं है। इसको उचित समय पर चर्चा करके लाया जाए। यही वह वजह रही कि उस समय इस मसले को नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया और केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया कि वह उचित समय आने पर इस मुद्दे पर कानून बनाएं।

इसमें दो राय नहीं कि यह जो समान नागरिक संहिता विधेयक तैयार किया गया, उसके लिए एक विधिवत कमेटी गठित की गई, उसने पूरे उत्तराखंड में लगभग 20 माह में 72 से ज्यादा बैठकें कर और 40 से ज्यादा जनसंवाद कर रायशुमारी की, लोगों से आनलाइन सुझाव मांगे, सभी वर्गों-धर्मों-पंथों के लोगों के 2.33 लाख के लगभग सुझाव आए और उसके बाद आम सहमति के उपरांत इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश किया। यह भी सच है कि उत्तराखंड में पारित इस विधेयक में सभी वर्गों, धर्मों के लिए समृद्धि व समानता दी गई है। यह किसी भी जाति, पंथ, धर्म के निजी कानूनों के ऊपर है। अब एक राष्ट्र, एक निशान और एक विधान समय की मांग है। जनसंख्या वृद्धि देश की ज्वलंत समस्या है। यह संहिता देश के दूसरे प्रदेशों के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर सकती है। जनमानस में जनसंख्या वृद्धि समेत अन्य समस्याओं को लेकर भी जागरूकता लाने के दायित्व का भी बखूबी निर्वहन करेगी। अन्य राज्यों के लिए भी इसमें बहुत कुछ सीख है।

## उत्तराखंड ने रचा स्वर्णिम इतिहास

**प्रमोद भार्गव**

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक राज्य विधानसभा में पारित करके देश में समानता का कानून बनाने के संदर्भ में इतिहास रचने का काम किया है। राज्यपाल से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। गुजरात और असम में भी इसी प्रकार का कानून लाने की तैयारी की जा रही है। वस्तुतः एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की समिति ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। चूंकि देसाई न्यायालयीन प्रक्रिया से अवगत रही हैं, इसलिए उन्हें ज्ञात रहा है कि कानून में असमानताओं के चलते लोगों को किस तरह से परेशान होना पड़ता है। अतएव अब उत्तराखंड में उन कानूनों को समाप्त कर दिया है, जो स्त्री-पुरुष में भेद के साथ संतान और संपत्ति में भी भेद के पर्याय रहे है। साफ है, व्यक्तिगत नागरिक अधिकार संबंधी मामलों से जुड़े ज्यादातर कानूनों में एकरूपता लाने का स्वागतयोग्य प्रयास किए गए हैं। अब प्रत्येक वर्ग-धर्म-पंथ के दंपति को विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। कोई भी पति, पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। वैवाहिक दंपति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना किसी दूसरे पक्ष की सहमति के मत परिवर्तन करता है तो दूसरे पक्ष को उससे तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार रहेगा। पति-पत्नी के संबंध विच्छेद या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक का बच्चा माता के पास रहेगा।

इस विधेयक में लिव-इन के रिश्तों में रहने वाले युगलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में गैर-पंजीकृत युगलों पर सोशल पुलिसिंग का खतरा बढ़ सकता है? वर्तमान में आजीविका के लिए युवक एवं युवतियों को अकेले रहना पड़ रहा है, जो जीवन में कठिनाई बढ़ाता है। परिणामस्वरूप संपर्क में आने के बाद कई जोड़े साथ रहने को मजबूर हो जाते हैं। यह एक व्यावहारिक मानसिकता है। हालांकि यह ठोस सच्चाई है कि लिन-इन रिश्तों के प्रचलन से महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। साथ ही विवाह संस्था की सात जन्मों वाले गठबंधन और पवित्रता के मूल्य एक हद तक घटे भी हैं। ऐसे में पंजीकरण की बाध्यता करने से ऐसे युगल राहत में रहेंगे, जिन्हें परिजनों की साथ रहने की स्वीकृति नहीं मिलती है। लिहाजा पंजीकरण के चलते युगल को संतान होती है तो उसे लालन-पालन के साथ विरासत संबंधी कानूनी अधिकार भी मिल जाएंगे। अतएव अविवाहित मातृत्व से पैदा होने वाली संतान का भविष्य माता-पिता का नाम मिल जाने के कारण संरक्षित होगा।

संविधान राज्य को स्वतंत्र रूप से समान नागरिक कानून बनाने का अधिकार देता है। अतएव संविधान में दर्ज नीति-निर्देशक सिद्धांत यही अपेक्षा रखता है कि समान नागरिकता समूचे देश में लागू हों। इससे देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का कानून वजूद में आ जाए, जो सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों पर लागू हो। ऐसे में इन विरोधाभासी कानूनों के तहत न्यायपालिका को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। अदालत में जब पारिवारिक विवाद आते हैं तो अदालत को देखना पड़ता है कि पक्षकारों का धर्म कौनसा है? फिर उनके धार्मिक कानून के आधार पर विवाद का निराकरण करती है। इससे व्यक्ति का मानवीय पहलू भी प्रभावित होता है। (प्रमोद भार्गव)

## खरी-खरी

### असली मलाई तो यहां है...

**अलंकार रस्तोगी**

एक बार एक बिल्ली किसी जमानत जब्त हो चुके नेता की तरह उदास बैठी थी। उस देवदास ब्रांड बिल्ली को देखकर उससे हमेशा से भयभीत रहने वाला चूहा भी मौज लेने के मूड में आ चुका था। वह बिल्ली से पर्याप्त और सुरक्षित 'फिजिकल डिस्टेंसिंग' बनाते हुए बोला, 'क्या हुआ बिल्ली मौसी? क्या कोरोना की वैक्सीन लगवा कर आई हो जो बुखार आ गया है?'

वह निरीह चूहा जो कभी बिल्ली की खुशबू तक से दूर भागता था, आज उस पर धड़ल्ले से कमेंट कर रहा था। लेकिन उसे यह अच्छा लगा कि चलो किसी ने उसकी सुध तो ली। इसलिए वह अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, 'बुखार तो नहीं आया है, लेकिन जब से मुझे यह पता चला है कि दूध को 'डिटर्जेंट' और 'यूरिया' मिलाकर बनाया जा रहा है, मलाई के नाम पर जहर बेचा जा रहा है, तब से मुझे अपनी सेहत की बहुत चिंता हो रही है।'

चूहे की पूरी बिरादरी पर ग्रहण बनकर 'टेंशन' देने वाली बिल्ली को पहली बार स्वयं टेंशन में देखकर उस चूहे को असीम आनंद की अनुभूति हुई। लेकिन उसे विपक्ष को मिटाने में नहीं, बल्कि स्वस्थ 'चूहातंत्र' में बिल्ली रूपी सशक्त विपक्ष में यकीन था, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए 'टाम एंड जेरी' वाला आनंद बना रहे। इसके लिए बिल्ली की उचित चिंता पर अपनी समान चिंता जाहिर करते हुए बोला, 'तुम्हारी बात सही है। अपनी जान हथेली पर रखकर तुम अपनी नींद खराब कर किसी तरह जुगाड़ से दूध की सत्ता पर कब्जा जमा पाती हो। और बदले में क्या मिलता है, वही जानलेवा यूरिया वाला दूध और उसकी कातिल मलाई।'

चूहे ने अब उस बिल्ली की व्याकुलता देखते हुए समाधान बताया, 'ऐसा करो बिल्ली आंटी, तुम अब दूध की चोरी किसी आम आदमी के यहां करना छोड़कर केवल भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट ठेकदार, भ्रष्ट डाक्टर, भ्रष्ट अधिकारी या सरल भाषा में बोला जाए तो हर भ्रष्ट विशेषण युक्त लोगों के घर ही किया करो, क्योंकि ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है कि असली मलाई अब इन्हीं लोगों के घर आती है।'

## पोस्ट

बीते कुछ दिनों से जयन्त चौधरी के राजग में शामिल होने की खबर चल रही है। पार्टी या चौधरी साहब की तरफ से किसी ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया है। इतनी लंबी चुप्पी तो नीतीश कुमार के रास्ते की तरफ अग्रसर दिखती है।

आदेश रावल@AadeshRawal

उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने महाराष्ट्र के बहुमत को धता बता दिया था। अब दोनों ही अपनी पार्टी और चुनाव चिह्न से हाथ धो बैठे हैं। कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है।

समीत ठक्कर@thakkar_sameet

विपक्षी दल राजनीतिक फायदे के लिए उत्तर-दक्षिण विभाजन का खेल खेल रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि सबसे कर्जदार राज्य केरल की सरकार अपनी वित्तीय अनुशासनहीनता छिपाने के लिए जंतर-मंतर पर धरना दे रही है।

मिलिंद देवड़ा@milinddeora

मैं अगले टेस्ट में केएल राहुल और मोहम्मद सिराज की वापसी की उम्मीद कर रहा हूं। साथ ही इसकी भी कि राजकोट में अच्छी पिच मिलेगी। मुझे लगता है कि टीम प्रबंधन के समक्ष यही दुविधा होगी कि क्या दूसरा तेज गेंदबाज खिलाया जाए या वाशिंगटन सुंदर के रूप में ऐसा स्पिन गेंदबाज, जो बल्लेबाजी करने में भी सक्षम है।

हर्षा भोगले@bhogleharsha

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने बलबूते 370 सीटें हासिल कर सकती है?**

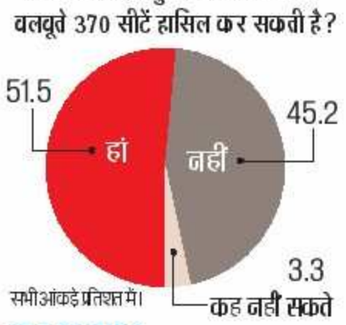


सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**

क्या एससी-एसटी आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

## जनपथ

योगी बाबा कह दिये हमें चाहिए तीन,
वरना देखोगे मिया बान्नबे का सीन!
बान्नबे का सीन अयोध्या ढांचे वाला,
क्यों धधकाना चाह रहे हो वो ही ज्वाला।
मथुरा-काशी छोड़ प्रेम से दे दो ताबा,
उंगली तीन दिखाय कह दिये योगी बाबा!!

– ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

# लीक पर चलेंगे या नई लकीर खींचेंगे 'टाइगर'

झारखंड में हाल ही में अप्रत्याशित तरीके से हुए राजनीतिक बदलाव ने पूरे देश का ध्यान खींचा। हेमंत सोरेन के विरुद्ध जब ईडी का शिकंजा कस रहा था तो यह लगभग तय था कि वे अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन की ताजपोशी करेंगे। त्यागपत्र देने के एक दिन पहले विधायकों के साथ बैठक के दौरान कल्पना सोरेन की मौजूदगी से इसे बल मिला। इससे पहले सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के एक विधायक डा. सरफराज अहमद द्वारा सीट रिक्त करना भी इसी तैयारी का हिस्सा था। कवायद इस स्तर पर की गई थी कि रिक्त हुई सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़कर विधानसभा में जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन इसमें जोखिम भी था। निर्वाचन आयोग की अनुमति इसके लिए आवश्यक थी।

वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन को आगे करने को लेकर सोरेन परिवार में भी सहमति नहीं थी। ऐसे में विधायकों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें विधायक दल के नेता की जगह खाली रखी गई थी। अगले दिन ईडी जब हेमंत सोरेन के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची तो घटनाक्रम तेजी से घूमा। परिणाम यह हुआ कि चम्पाई सोरेन का नाम सामने आया, जिन्हें सोरेन परिवार का विश्वस्त माना जाता है। चम्पाई ने राजनीति का ककहरा झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से सीखा है। वे राज्य के सबसे बड़े क्षेत्रीय दल के प्रमुख रणनीतिकारों में भी हैं। उनकी ताजपोशी से झामुमो पर एक पारिवारिक पार्टी का लगाया जाने वाला आरोप भी कमजोर हुआ है। चम्पाई सोरेन ने तमाम अटकलों को पीछे छोड़ते हुए विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। जल्द ही वे मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लेंगे। उनके कामकाज पर पिछली सरकार की छाया स्वाभाविक है। विपक्ष का आरोप है कि वे रबर स्टांप की तरह इस्तेमाल होंगे। इससे इतर चम्पाई सोरेन सरकार के शुरुआती फैसले यह संदेश दे रहे हैं कि उनका लक्ष्य आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के साथ-साथ उन योजनाओं को आगे बढ़ाना है, जिन पर हेमंत सोरेन सरकार का फोकस रहा है। वे यह स्वीकार करने से भी पीछे नहीं हटते कि उनकी सरकार हेमंत पार्ट-दो है। इससे विपक्षी दलों को निशाना साधने का मौका मिल रहा है।

विधानसभा में अपनी बात रखते हुए चम्पाई सोरेन। फाइल

वैसे चम्पाई के संक्षिप्त कार्यकाल की उनकी गतिविधियों से समझा जा सकता है कि वे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। राजभवन में शपथ लेने के साथ ही उन्होंने दुमका के लिए उड़ान भरा। उप राजधानी दुमका संताल आदिवासी बहुल है और यह झामुमो का पारंपरिक गढ़ है। यहां हर वर्ष दो फरवरी को समर्थकों का बड़ा जुटान पार्टी स्थापना दिवस समारोह के मौके पर होता है। हेमंत की अनुपस्थिति में पार्टी समर्थकों में जोश-जज्बा बनाए रखने की यह शुरूआत थी। उसी दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में पाकुड़ के रास्ते प्रवेश कर रही थी। चम्पाई राहुल से मिलने यात्रा में पहुंच गए। उन्होंने यह संदेश दिया कि कांग्रेस के साथ झामुमो की दोस्ती जारी रहेगी। विभिन्न क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को जहां लगातार झटका लग रहा था, वहीं झामुमो के इस कदम से राहुल गांधी को भी तसल्ली हुई होगी। चम्पाई सोरेन ने यह स्पष्ट कर दिया कि झामुमो आने वाले चुनावों में कांग्रेस के साथ तालमेल कर ही आगे बढ़ेगा। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तलब किया और विधि-व्यवस्था समेत राजस्व प्राप्ति के मोर्चे पर डटने के निर्देश दिए। गांवों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए चलाए गए आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार के तीसरे चरण के क्रियान्वयन का निर्देश दिया।

वस्तुतः चम्पाई सोरेन का फोकस उन्हीं आधार क्षेत्रों पर है, जिसके इर्द-गिर्द योजनाएं तैयार करने में हेमंत सोरेन लगे रहे। उनके जिम्मे सरकार के साथ-साथ संगठन का भी दारोमदार होगा, क्योंकि बदली राजनीतिक परिस्थिति में उन पर दबाव अधिक होगा। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं। वे झामुमो की युवा शाखा का नेतृत्व करते हैं। उनकी भाभी सीता सोरेन भी विधायक हैं। कल्पना सोरेन का नाम जब सामने आया तो उन्होंने आपत्ति जताई थी। जब चम्पाई सोरेन का नाम सामने आया तो उनके तेवर नरम हुए, लेकिन सोरेन परिवार का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव और अपेक्षा उनके सम्मुख रहेगा। लीक पर चलते हुए वे उन योजनाओं पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी अलग लकीर खींचने का अवसर भी उनके पास है। वे जिस पृष्ठभूमि से यहां तक आए हैं, वह उपहार में नहीं मिलता। चम्पाई सोरेन ने लंबा समय मजदूरों और विस्थापितों के आंदोलन के नेतृत्व में गुजारा है। एकबारगी उन्हें देखकर ही उनकी सरलता का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उनकी फायरब्रांड छवि की वजह से ही वे अपने समर्थकों में 'झारखंड टाइगर' कहे जाते हैं। देखना यह होगा कि 'टाइगर' बनी-बनाई लीक पर चलते हैं या नई लकीर खींचने में कामयाब होते हैं।

## मंथन

# तुलसी साहित्य में विज्ञान तत्व

**तुलसीदास की कृतियों में वैज्ञानिक तत्वों का भी विवरण है। उनके साहित्य का अध्ययन इस दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है**

डा. परमेश्वर झा
पूर्व डीन, बी. एन. मंडल विवि, बिहार

धर्म एवं विज्ञान में कोई मौलिक विरोध नहीं है। दोनों का उद्देश्य एक ही है- सत्य का साक्षात्कार करना, अंतर केवल उन दोनों की प्रक्रियाओं में है। मानव कल्याण के लिए दोनों आवश्यक हैं, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। मानवता की शरीर यात्रा के लिए धर्म नेत्रों का तथा विज्ञान चरणों का कार्य करता है। भारतीय संस्कृति का प्राण है दोनों का समन्वय। प्राचीन उपलब्ध ग्रंथों में आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ वैज्ञानिक तत्व भी बीज रूप में पाए जाते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास इन तथ्यों से परिचित थे और इसलिए उनकी रचनाओं में विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश है। वे महान भक्त कवि थे। श्रीरामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्न आदि छोटी-बड़ी 37 पुस्तकों की उन्होंने रचना की। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना 'श्रीरामचरितमानस' है जो विश्व साहित्य की शाश्वत निधि है तथा भारतीय संस्कृति का जीवंत स्मारक। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध सिद्धांतों से वे व्यापक रूप से परिचित थे। उन्होंने इसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि तथ्यों के साथ-साथ वैज्ञानिक तत्वों का भी अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में विवरण प्रस्तुत किया है। आज जब समूचा ब्रह्मांड श्रीराम के जन्मस्थान पर उनके पुनर्स्थापित होने पर भावविभोर है, हमें तुलसी की रचनाओं में वर्णित वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में भी जानना चाहिए।

वस्तुतः आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियों में हवाई जहाज का निर्माण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 'पुष्पक विमान' प्राचीन भारत की देन है जिसकी चर्चा विभिन्न प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध है। तुलसीदास ने भी इसकी चर्चा श्रीरामचरितमानस में की है। यहां उसके उत्तरकांड के दोहा चार में तत्संबंधी उल्लेख है : आवत देखि लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरउ, उतरेउ भूमि विमान। आज के विज्ञानी युग में राकेट का निर्माण और उसका प्रयोग किसी भी राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा एवं गौरव का द्योतक है। अस्त्र-शस्त्र को निर्दिष्ट स्थान पर गिराकर या अन्य अभीष्ट को पूरा करके राकेट पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। श्रीराम के अमोघ बाण में भी ऐसी विशेषता थी कि निर्दिष्ट कार्य को पूरा करके उनके तरकश में लौट आता था। इतना ही नहीं, आगे जाकर वह बाण कई बाणों में परिवर्तित हो जाता और पुनः उसी रूप में वापस आ जाता। पहले इस तरह का वर्णन कपोल कल्पित समझा जाता था, परंतु राकेट के आविष्कार ने इस तरह के वर्णन को सत्य साबित कर दिया है कि प्राचीन भारत में बहुत पूर्व ही इसका आविष्कार हो गया था।

**स्थापत्य कला** : श्रीरामचरितमानस में वर्णित अयोध्या के राजप्रासाद, जनकपुर की गगनचुंबी अट्टालिकाएं, लंका के सुसज्जित-सुगठित सोने का किला आदि से प्राचीन भारत में प्रचलित उन्नत स्थापत्य कला का दिग्दर्शन होता है। नल-नील जैसे कुशल इंजीनियरों की देख-रेख में महासमुद्र पर अतिशीघ्र महापुल का निर्माण किया गया जिस पर चढ़कर सेना सहित श्रीराम ने समुद्र को पार किया तथा लंका पर चढ़ाई की : बांधि सेतुअति सुदृढ़ बलावा, देखि कृपानिधि के मन भावा। चली सेन सहित कछु बरनि न जाई, गर्जहि मरकट भट समुदाई।। वस्तुतः गति संबंधी न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसी नियम के अनुकूल हनुमानजी एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चलते हुए आगे बढ़ते जाते। जिस तेज गति एवं दबाव के साथ किसी पर्वत पर वे कूदते, ठीक उसी गति से पर्वत भी उन्हें ऊपर की ओर उछाल देता जिससे यह प्रमाणित होता है कि न्यूटन से हजारों वर्ष पूर्व भारत में इस नियम की जानकारी थी। मेघनाद के बाण से जब लक्ष्मणजी मूर्छित हो गए, तो सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी का प्रयोग कर उन्हें स्वस्थ कर दिया।

दोहावली एवं कवितावली में भी फलित ज्योतिष संबंधी अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यथा कौन सी तिथि कब हानिकारक होती है, किस नक्षत्र में कौन सा कार्य करना चाहिए, किन वस्तुओं का दर्शन शुभ और किन वस्तुओं का दर्शन अशुभ, राशियों, जन्म कुंडली, समय की विभिन्न इकाइयों का विचार आदि। इसके साथ ही इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि उन्हें अंकों, गणित की मौलिक क्रियाओं, भौतिक, रसायन और वैद्यक शास्त्र का भी विशिष्ट ज्ञान था। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके साहित्य का अध्ययन इस दृष्टिकोण से भी किया जाए कि अध्यात्म की तरह वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है।

रामायण काल में भी कुशल इंजीनियरिंग से निर्मित अनेक निर्माण कार्यों के विवरण उपलब्ध हैं। फाइल

********

## कल्पमेधा

*एक छोटी-सी मोमबत्ती का प्रकाश कितनी दूर तक जाता है? इसी तरह इस बुरी दुनिया में एक अच्छाई कुछ समय तक ही प्रकाशित रह पाती है।*

*-विलियम शेक्सपियर*

# हताशा में आतंक

इसमें कोई दोराय नहीं कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के सफाए के लिए सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से जिस तरह मोर्चा लिया गया है, उसकी वजह से आतंकी संगठनों की राह मुश्किल हुई है। मगर यह भी सच है कि कसते शिकंजे से उपजी हताशा के बाद अब आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों को अलग शक्ल देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से किसी की पहचान कर या निशाना बना कर की जाने वाली हत्याओं के जरिए अब वे शायद यही दर्शाना चाहते हैं कि उनका वजूद बचा हुआ है। हालांकि जिस तरह जम्मू-कश्मीर के बाहर से आए किसी मजदूर की पहचान के आधार पर उन पर लक्षित तरीके से हमला किया जा रहा है, उससे यह साफ है कि अब उनके भीतर हताशा गहरा रही है। गौरतलब है कि बुधवार को श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में आतंकवादियों ने पंजाब के एक मजदूर की गोली मार कर हत्या कर दी थी। उस गोलीबारी में एक अन्य मजदूर भी बुरी तरह घायल हो गया था और गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी भी जान चली गई। कश्मीर में यह इस वर्ष की पहली लक्षित हत्या की घटना है।

आतंकवाद से सामना करने के संदर्भ में सरकार की ओर से आए दिन यह दावा किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की नकेल कसने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जा रही है और उनका जोर कम हो रहा है। मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। आए दिन सुरक्षा बलों पर होने वाले हमलों के अलावा बीते कुछ वर्षों के दौरान निशाना बना कर की जाने वाली हत्या की घटनाओं से यही पता चलता है कि अब आतंकवादी संगठनों ने अपनी गतिविधियों के तौर-तरीके बदले हैं और आम लोगों के बीच आतंक फैलाने के लिए लक्षित हत्याएं शुरू कर दी हैं। पिछले वर्ष भी कई स्थानीय और बाहरी इलाकों से आकर गुजारा करने वाले कई मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। इसका मकसद मुख्य रूप से यही है कि पहचान के आधार पर अलग-अलग समुदायों के बीच आपस में संदेह और दूरी बनाने का माहौल पैदा किया जाए, ताकि असुरक्षाबोध से घिरे लोगों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो सके।

यह आतंकवादियों की नई रणनीति है, जिसके जरिए वे सुरक्षा-व्यवस्था के मजबूत होने के सरकार के दावों को झुठलाना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए हैं और इसका नतीजा भी देखने में आया है। अब सरेआम आतंकी हमलों की घटनाएं कम हुई हैं, मगर आतंकी संगठनों की नई रणनीति के लिहाज से सुरक्षा बलों को अपना मोर्चा तैयार करना होगा। घाटी में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह भी एक कारण है कि कभी कश्मीरी पंडितों को तो कभी मजदूरों को निशाना बना कर आतंकी किसी की हत्या कर देते हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विभाजन पैदा किया जा सके और बाहर से वहां आकर काम करने वालों को डराया जा सके। इसका एक बड़ा असर जम्मू-कश्मीर के पर्यटन पर भी पड़ेगा। सीधे हमले के मोर्चे पर नाकाम और हताश होने के बाद आतंकी संगठनों का यह तरीका दरअसल सरकार और सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने की रणनीति है। सवाल है कि जम्मू-कश्मीर के हित में संघर्ष का दावा करने वाले ये आतंकवादी ऐसा करके किसका भला कर रहे हैं!

# पार्टी पर हक

अब यह स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा आधिकारिक रूप से किस गुट के हिस्से रहेगी, मगर प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच राजनीतिक दांवपेच और खींचतान के समांतर यह सवाल भी उठा है कि किसी पार्टी पर अपना पक्ष बदलने वाले समूह का नियंत्रण हो या उस दल के बचे हुए मूल सदस्यों का। गौरतलब है कि अब शरद पवार गुट की पार्टी का नया नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) होगा और चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने लंबे विचार-विमर्श के बाद अपने फैसले में शरद पवार से अलग हुए अजित पवार और उनके गुट को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करार दिया था और उसका चुनाव चिह्न भी उसे ही सौंपा था। इसलिए माना जा सकता है कि आयोग के पास ऐसे निर्णय तक पहुंचने के अपने आधार होंगे। सवाल यह है कि जिन लोगों ने काफी मेहनत से कोई पार्टी खड़ी की होती है, उसे एक विचारधारात्मक पहचान दिया होता है, क्या उनके पक्ष की कोई अहमियत नहीं होती है? इस तरह के मामलों में चुनाव आयोग के फैसलों पर भी संबंधित गुट की ओर से अंगुली उठाई जाती है।

दरअसल, कुछ समय पहले शिवसेना में बंटवारे के संदर्भ में भी चुनाव आयोग ने लगभग इसी तरह का फैसला दिया था, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना करार दिया गया। इस पर उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों ने निराशा जताई थी। देश की राजनीति में दल-बदल एक आम चलन बन चुका है और लोकतंत्र में इसे अपने-अपने चुनाव के अधिकार के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ऐसे मामलों में अक्सर सैद्धांतिक सवाल उठते रहते हैं, मगर शायद ही कभी इनका असर पड़ता है। बाद में संख्या बल या अन्य किसी तकनीकी आधार पर पार्टी से निकले समूह को ही वास्तविक दल घोषित कर दिया जाता है। फिर बाकी बचे हुए उन सदस्यों के सामने नए सिरे से राजनीतिक अस्तित्व हासिल करने की चुनौती होती है, जिन्होंने एक समय में पार्टी को खड़ा किया होता है। यह एक विचित्र विडंबना है, जिसमें चुनाव आयोग के एक फैसले के साथ ही विचारधारा और नेतृत्व की पहचान से भावनात्मक रूप से जुड़े जनसमूह के सामने कई बार द्वंद्व की स्थिति खड़ी हो जाती है।

# कुप्रथाओं का दंश झेलते मासूम

**परंपराओं के नाम पर चल रही कुरीतियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेतीं। ऐसी ही एक कुरीति है 'दगना', जो समय के साथ पल रही है। यह प्रगतिशील समाज के साथ शासन-प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है।**

ऋतुपर्ण दवे

प्रगति के तमाम दावों के बीच हकीकत यह है कि अंधविश्वास की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रहीं। जादू-टोना, भूत-प्रेत, काला जादू जैसी चीजें अब भी आम बातें हैं। हर कहीं ओझा-गुनिया, तंत्र-मंत्र, झाड़-फूंक के झूठे कारनामे और इसमें जकड़े लोगों को देखना आम है। जानते-समझते हुए भी बहुत-से लोग ऐसे फरेबियों के फेर में बड़े से बड़ा नुकसान करा बैठते हैं। मगर परंपराओं के नाम पर चल रही कुरीतियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेतीं। ऐसी ही एक कुरीति है 'दगना', जो समय के साथ पल रही है। यह प्रगतिशील समाज के साथ शासन-प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है।

यों तो इस तरह की कुछ अन्य प्रथाएं अमूमन सभी समुदायों में पाई जाती हैं, मगर आदिवासी और जनजातीय संस्कृति में भी कुछ प्रथाएं गलत और बेहद खौफनाक होती हैं। ये इतनी गहराई तक पैठ जमाए हैं कि लाख कोशिशों और जन-जागरूकता के बावजूद कोई असर पड़ता नहीं दिखता। प्रायः किसी नवजात को सांस लेने में तकलीफ, पेट संबंधी या फिर दूसरी बीमारियां होते ही कुछ जनजातीय लोग उसे गर्म लोहे से दगवाते हैं। इससे जान तक चली जाती है। कई राज्य अब भी दगना कुप्रथा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसे लेकर कुछ इलाके लंबे समय से सुर्खियों में हैं। ऐसी घटनाओं को कहीं डाम, तो कहीं दगना, कहीं चिड़ी काठी, कहीं चिड़ी दाग तो कहीं चेंका कहा जाता है। इस कुप्रथा के और भी कई नाम हैं। यह शरीर को दागकर इलाज का दावा करने वाले अनपढ़ ओझा, गुनिया, भोपा और झाड़-फूंक करने वालों का कमाई का जरिया भी है।

निरा आदिवासी-जनजातीय इलाकों सहित कई शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक फैली दगना प्रथा तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद नहीं रुक पा रही है। इसके ज्यादातर शिकार कुपोषित और दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मासूम बच्चे और कई जगह बड़े भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओड़ीशा, महाराष्ट्र सहित कई राज्य दगना के चंगुल से अब तक मुक्त नहीं हो सके हैं। लोग प्रायः दस-पंद्रह दिन के बच्चे तक को दगवा देते हैं। दुधमुंहे बच्चों से लेकर बड़ों की नाभि के आसपास गर्म लोहे की छड़, तो कहीं सरिया, हंसिया से दागा जाता है।

मध्य प्रदेश का जनजातीय शहडोल संभाग फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां अब भी लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इसके चलते वहां मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसे लेकर एक बार जिला प्रशासन और मेडिकल कालेज तक आमने-सामने आ चुके हैं। फरवरी-2023 में एक प्रकरण शहडोल से सटे कठौतिया (सिंहपुर) गांव से आया। तीन माह की मासूम को सांस और पाचन संबंधी दिक्कतें थीं। अंधविश्वासी पिता ने इक्यावन बार गर्म सलाखों से उसके शरीर को जहां-तहां दगवाया। इससे तबियत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। अंततः बच्ची को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाई नहीं जा सकी। इसमें कलेक्टर ने मौत का कारण न्यूमोनिया बताया, तो मेडिकल कालेज ने दगना के घाव। असल में बच्ची कुपोषित थी।

सच्चाई यह भी है कि आदिवासी-जनजातीय समाज में गर्भवती माताओं की सही देखभाल न होने से प्रायः कुपोषित बच्चे जन्म लेते हैं। शासन-प्रशासन को इसकी जानकारी रहती है। जगह-जगह आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनबाड़ियां हैं। जिलों में कुपोषण पुनर्वास केंद्र भी है, लेकिन लगता है कि सब कागजों में ही व्यवस्थित होता है। धरातल के हालात अलग होते हैं। शहडोल संभाग में दगना कुप्रथा से दो हजार से ज्यादा बच्चों के शिकार होने की सुर्खियों ने सबका ध्यान खींचा। अभी बीते महीने अनूपपुर जिले से ऐसा मामला सामने आया, जिसमें एक वयस्क के पेट को गर्म हंसिये से दागते हुए वीडियो बनाया गया, जो काफी प्रसारित हुआ।

> **निरा आदिवासी-जनजातीय इलाकों सहित कई शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक फैली दगना प्रथा तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद नहीं रुक पा रही है। इसके ज्यादातर शिकार कुपोषित और दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मासूम बच्चे और कई जगह बड़े भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओड़ीशा, महाराष्ट्र सहित कई राज्य दगना के चंगुल से अब तक मुक्त नहीं हो सके हैं। लोग प्रायः दस-पंद्रह दिन के बच्चे तक को दगवा देते हैं। दुधमुंहे बच्चों से लेकर बड़ों की नाभि के आसपास गर्म लोहे की छड़, तो कहीं सरिया, हंसिया से दागा जाता है।**

अंधविश्वास का यही खेल राजस्थान में भी जहां-तहां होता है। यहां भोपे मासूमों को डाम दाग का दर्द देते हैं। बीमारी ठीक करने के नाम पर शरीर गर्म सरिये से दागते हैं। ऐसे भी प्रकरण आए, जिसमें इसके बाद तबियत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाए गए बच्चों की मौत तक हो गई। कई जगह ऐसी घटनाएं होने के बावजूद डाम को लेकर अंधविश्वास कायम है। प्रशासन के सामने हो रही घटनाओं और भोपों के ठिकानों पर कार्रवाई न होने से उनके हौसले नहीं टूट रहे हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, अंधविश्वास और गरीबी के चलते, बच्चों को अस्पताल के बजाय भोपे के पास लाया जाता है। प्रायः चिकित्सक भी स्वीकार करते हैं कि ऐसे अंधविश्वास के शिकार कई बच्चे अब दुनिया में नहीं हैं। पर, परंपरा के नाम पर प्रथा जारी है।

ऐसी ही परंपरा झारखंड के गांवों में भी है। वहां का आदिवासी-जनजातीय समाज इसे चिड़ी दाग कहता है। जनवरी में मकर संक्रांति के समय टुसू पर्व पर गांव-गांव, बच्चों को दागने का सिलसिला शुरू हो जाता है। विशेषकर कोल्हान क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां में ज्यादा होता है, जहां बड़े-बड़े जमघट लगते हैं। बच्चों को लाकर, बलपूर्वक खटिया पर लिटाकर, हाथ-पैर जकड़ते हैं फिर ओझा नाभि पर सरसों का तेल लगाकर गर्म सलाखों से दागता है। धारणा है कि ऐसा करने से पेट संबंधी बीमारी नहीं होती। कमोबेश यही कुप्रथा ओड़ीशा में भी है। यहां इसे चेंका कहते हैं। इसमें जन्म के सात से इक्कीस दिनों के बच्चों को दागते हैं। अंधविश्वास है कि बच्चा बीमार पड़ता है या फिर नीली शिरा दिखती है, तो उसे बुरी आत्मा का प्रभाव मानते हैं। मान्यता है कि पेट दागने से वह भाग जाएगी और बच्चा बुरी नजर से बच जाएगा। मकर संक्रांति के फसल उत्सव के दौरान यहां सब जोर-शोर से होता है। बीमार स्त्री-पुरुष को भी चेंका दागते हैं। यह काम यहां के खास ओझा करते हैं। ये पारंपरिक चिकित्सक कहलाते हैं।

मगर ओड़ीशा में इससे बाहर निकलने का अनूठा प्रयोग सफल हुआ है। राज्य सरकार ने आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिए यूनिसेफ की साझेदारी से 'जीवन संपर्क' योजना शुरू की। लक्ष्य स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ चेंका प्रथा रोकना था। दागने का काम करने वाले बिशारी समुदाय को जब बताया गया कि वे दंडनीय कृत्य कर रहे हैं, तो जबरदस्त विरोध हुआ। मगर जब सबको विश्वास में लेकर समझाया गया कि उन्हें पूजा, पाठ, अनुष्ठान छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि बच्चों को देखें और अस्पताल भेजें। कुछ लोग जैसे-तैसे राजी हुए, बच्चे अस्पताल पहुंचने लगे। दूसरे स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम के साथ मिलकर काम किया गया। जन सहयोग से चेंका करने वालों को सरकारी योजनाओं की लाभ-हानि के प्रति सजग किया गया। अगर कोई राजी नहीं होता, तो योजनाओं और राशन कार्ड जब्ती का डर पैदा किया जाता है। इससे भी बड़ा बदलाव आने लगा। दगना जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए ओड़ीशा माडल की पूरे देश में जरूरत है।

# विस्थापन की पीड़ा

पूजा खिल्लन

जीवन में हम कई बार जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और उनसे गुजरकर हमारा विकास होता है। बचपन में हम स्कूल जाते हैं और वक्त के मुताबिक यह नितांत जरूरी है। जब हम बड़े होते हैं तो घर से बाहर मित्रों में पड़ोसियों के पास और रिश्तेदारों के यहां हमारा उठना-बैठना अधिक होता है। यह भी एक जरूरी प्रक्रिया है जो हमारे लिए एक सामाजिक दायरे का निर्माण करती है। तब हम सामाजिक पाठशाला का अभ्यास कर रहे होते हैं जो हमें परिपक्व बनाता है, समाज में हमारे सोचने-समझने, उठने-बैठने के तौर-तरीकों में सुधार लाता है। तब हम वैसा नहीं करते या दिखते जैसा हम बचपन में करते या बोलते थे, बल्कि हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसी समय कालेज की भी शुरुआत होती है, जहां नए मित्र और दोस्त मिलते हैं और बचपन की दोस्ती में नया आयाम जुड़ता है।

माना जाता है कि कई मायनों हमारा विकास घर से बाहर निकलने पर ही होता है। दुनिया की तमाम सभ्यताएं इस बात का उदाहरण रही हैं कि अपने दायरे से बाहर आने के बाद ही नई दुनिया की खोज हुई। कोई यात्री अपनी जगह से निकल पड़ा और चलते-चलते किसी नए इलाके को, किसी नए देश को नक्शे पर दर्ज करने का जरिया बन गया। नई दुनिया की खोज ज्ञान का हिस्सा है और ज्ञान विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग। धान का पौधा जब अंकुरित होता है और फिर थोड़ा बढ़ता है तब उसे उसकी जगह से उखाड़ कर कहीं और रोपा जाता है, जहां उसका विकास होता है। इसी तरह मनुष्य है। मां-पिता भी बच्चों को उनके विकास के लिए घर की चौखट के बाहर भेजते हैं, भले ही उनकी दृष्टि उन पर रहती है। वे उन्हें बीच-बीच में समझाते-बुझाते रहते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा और बुरा है। बच्चे अब पहले की तरह मां-बाप की अंगुली थामे नहीं चल रहे होते, बल्कि उन चोटों को सहन कर रहे होते हैं, जिन्हें खाकर उन्हें मजबूत बनना है। मां-पिता उन्हें यह सिखाते हैं। जब किसी पक्षी के बच्चे छोटे होते है तो वह उन्हें घोंसले में रखता है। जब वे बड़े होते है तो उन्हें आकाश में, पंख फैलाकर उड़ने के लिए छोड़ देता है। मां-पिता और शिक्षक या गुरु बच्चों को अपने अनुभव सौंपते हैं और उन्हें समृद्ध करते हैं।

बहरहाल, इस तरह के उद्धरण जीवन में जरूरी तौर पर मौजूद विस्थापन की प्रक्रिया के हैं, जिससे मनुष्य का विकास होता है। मगर एक विस्थापन वह भी है जो जबरन हम पर थोपा जाता है, जिसकी पीड़ा जीवन भर के लिए आहत कर जाती है। मसलन, देश और दुनिया में कई समुदाय हैं, जिन्होंने अप्रत्याशित और विपरीत परिस्थितियों में भयावह पीड़ा झेली, जब वे अपनी जड़ों से काट दिए गए। मतलब जहां उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष, दशक बिताए थे, जहां उनकी मेहनत से खड़ा किया गया व्यापार था, उनके पुरखे थे, उस मिट्टी से उन्हें अलग कर दिया गया। उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ा।

कई बार इस तरह विस्थापित होने वाले लोग किसी तरह सिर्फ अपनी जान बचा कर भाग जाते हैं, अपना सब कुछ, सारी संपदा छोड़ कर। उनका मानना बस यही होता है उस वक्त कि किसी तरह अपने बच्चों और परिवार की जान बच जाए। इस तड़प से जूझते व्यक्ति और समुदाय की पीड़ा को समझना क्या इतना आसान है? एक समय बहुत सारे लोगों को भारत आना पड़ा था और वह भी चोरी-छिपे, किसी तरह हांफते हुए अपनी जान-बचाकर। वैसे लोग आमतौर पर आड़े वक्त के लिए अपनी थोड़ी संपदा भी साथ नहीं ला पाते। बस वे किसी तरह अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों की ही सुरक्षा कर पाते हैं। इस क्रम में कितने ही लोग जान गंवा बैठते हैं, मारे जाते हैं और कई अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं।

इसमें एक अहम पहलू यह भी है कि विस्थापन के दंश से सबसे ज्यादा स्त्रियों को गुजरना पड़ता है, जो उसके मायके से ससुराल जाने के साथ ही होता है। बहरहाल, विस्थापन की पीड़ा पुरुष भी झेलते हैं, जब वे नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले से दूसरे जिले तक आजीविका के लिए यात्रा करते हैं। इनमें कई पढ़े-लिखे युवक होते हैं और कई मजदूर और श्रमिक। श्रमिकों के जीवन में विस्थापन आमतौर पर पीड़ादायी ही होता है, जिन्हें कहीं जमने नहीं दिया जाता और बार-बार उजाड़ा जाता है। उजड़ना और जमना जीवन की दो स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है, जिनसे बहुतों को गुजरना होता है, लेकिन यह कटु सत्य है कि बार-बार उजड़ने वाले लोग मानसिक पीड़ा भी झेलते हैं। यह उनके जीवन को मर्मांतक पीड़ा पहुंचाता है और कई दफा अंदर तक तोड़ डालता है।

एक गीत है- 'जहां पर सवेरा हो, बसेरा वहीं है।' यह गीत इस पीड़ा को अवश्य कुछ हल्का कर देता है, लेकिन घाव जल्दी नही भरते। समय लगता है। जबकि कुछ घाव तो अंत तक नहीं भरते। जिन्होंने भी विस्थापन के दर्द को झेला है, वे यह जरूर समझते होंगे। पर उम्मीद हमेशा एक छोटी किरण जितनी ही सही, सर्द बर्फ को पिघलाने में समर्थ होती है। इसलिए यह नहीं है कि जीवन फिर से हरा-भरा नहीं होता। हर पतझड़ के बाद बसंत तो आता ही है।

### दुनिया मेरे आगे

> **उम्मीद हमेशा एक छोटी किरण जितनी ही सही, सर्द बर्फ को पिघलाने में समर्थ होती है। इसलिए यह नहीं है कि जीवन फिर से हरा-भरा नहीं होता। हर पतझड़ के बाद बसंत तो आता ही है।**

## नकल के विरुद्ध

मेधावी प्रतियोगी सड़क पर और नकलची लोगों को नौकरी मिले, इससे निराशाजनक स्थिति युवाओं के लिए कुछ और नहीं थी। प्रश्न पत्र लीक करने वाले, परीक्षा में नकल कराने वालों की चांदी रहती थी और धन की बदौलत योग्य नहीं रहते हुए नौकरी पाकर योग्य पात्रों को सड़कों पर बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए छोड़ दिया जाता था। केंद्र सरकार द्वारा नकल के खिलाफ लाया गया बिल स्वागतयोग्य है। आज भी नकल और अन्य जुगाड़ के भरोसे लोग नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, जिसकी कार्यक्षमता न के बराबर होती है। ऐसे जुगाड़ वाले लोगों की साधारण परीक्षा ले ली जाए तो सारी कलई खुल जाएगी। लंबे समय से इस मसले पर कड़े कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। कुछ राज्यों में इसके लिए कानून बना कर इसे रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं था। इस बीच परीक्षा पत्र लीक होना एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई। देश के कई राज्यों में आए दिन होने वाले पेपर लीक और नकल के मामलों की वजह से तमाम छात्र-छात्राओं के सपने बिखर जाते थे, लेकिन अब उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा।

*- प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना*

## युद्ध की राह

अमेरिकी विदेश मंत्री अंटोनी ब्लिंकन एक बार फिर मध्यपूर्व का दौरा कर रहे हैं। इस बार उन्होंने पहला पड़ाव सऊदी अरब को बनाया। पिछले चार दौरों से उन्होंने क्या हासिल किया? सिर्फ दो सप्ताह का युद्धविराम, जिस दौरान कुछ इजराइली और फिलिस्तीनी बंधक छोड़े गए थे। ऐसा लगता है कि अमेरिका की शांति की इच्छा केवल इजराइलियों के लिए है, न कि फिलिस्तीनियों के वास्ते! जबकि सत्ताईस हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, उसकी चिंता भी करने की जरूरत है। विडंबना यह है कि इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी लोग इजराइली भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं... उन्हें बाहर खदेड़ा जाएगा। सवाल है कि इस तरह के तर्कों के साथ किस तरह हिंसा और युद्ध का अंत हो सकेगा। क्या इतिहास और तथ्य अब बदल चुके हैं? क्या संयुक्त राष्ट्र और बाकी देशों को इस समस्या पर गौर करके युद्ध को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या कमजोर पक्ष की मदद करना और युद्ध रोकना संयुक्त राष्ट्र और ताकतवर देशों की जिम्मेदारी नहीं है।

*- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

## पारदर्शिता कब

ईवीएम को लेकर धरना-प्रदर्शन के अलावा चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय में भी अर्जी दाखिल की गई है। मांग की जा रही है कि चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम की जगह बैलेट या मतपत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब चंडीगढ़ पार्षद चुनाव की प्रक्रिया सुर्खियां बटोर रही है। पार्षद के चुनाव तो मतपत्र या बैलेट पेपर से ही हुआ है। उसमें भी धांधली के आरोप लग रहे हैं, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। इसका अर्थ है कि बैलेट से चुनाव में भी पारदर्शिता की गारंटी नहीं है। ईवीएम और बैलेट बाक्स, दोनों चुनाव करने की प्रक्रियाएं हैं और ये सिर्फ माध्यम मात्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव निगरानी तंत्र, चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों पर अधिक निर्भर है।

*- दल सिंह खरत, गाजीपुर, दिल्ली*

## उम्मीद की राह

एक नए विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने जैसे कदाचार में शामिल लोगों को दस साल तक की जेल और कम से कम एक करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में 'अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता' लाना और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। सख्त कानून व्यक्ति को भ्रष्टाचार से रोकते हैं। दस साल की जेल या एक करोड़ जुर्माने की सजा की घोषणा के बाद लोग ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त होने के प्रति डर पैदा होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, क्योंकि व्यक्ति के भ्रष्टाचार का दंश उनके निर्दोष परिजनों को झेलना पड़ सकता है।

*- मोहम्मद तौकीर, पश्चिमी चंपारण, बिहार*



www.readwhere.com

संस्थापक : अमर शहीद लाला जगत नारायण जी
पंजाब केसरी

# देश में फैला रिश्वतखोरी का महारोग पटवारी भी काम के बदले ले रहे 'रिश्वत'

देश में रिश्वतखोरी का रोग गंभीर रूप धारण करता जा रहा है और इसमें नीचे से ऊपर तक के अनेक कर्मचारी एवं अधिकारी संलिप्त हैं। यहां तक कि चंद पटवारी और उनके कारिंदे भी इस काम में शामिल पाए जा रहे हैं जिसके चंद उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :

*9 अक्तूबर, 2023 को अम्बाला (हरियाणा) में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पटवारी जगदीश को शिकायतकर्त्ता से एक जमीन का मालिकाना हक बदलने की एवज में एक लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा।

*22 नवम्बर, 2023 को फरीदाबाद (हरियाणा) विजीलैंस विभाग की टीम ने बल्लभगढ़ तहसील में कार्यरत पटवारी सहदेव के निजी सहायक नवीन को 6000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

*11 जनवरी, 2024 को सिवनी (मध्य प्रदेश) में लोकायुक्त टीम ने शिकायतकर्त्ता की जमीन के बंटवारे के नाम पर उससे 8000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी शुभम राय को रंगे हाथ काबू किया।

*22 जनवरी, 2024 को सागर (मध्य प्रदेश) में लोकायुक्त टीम ने पटवारी 'अलंकृत' को शिकायतकर्त्ता की जमीन के रिकार्ड में संशोधन करने के बदले 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।

*30 जनवरी, 2024 को ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में शिकायतकर्त्ता की 20 बीघा जमीन के स्वामित्व संबंधी रिकार्ड में संशोधन के बदले 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी शैलेंद्र सिंह परिहार को गिरफ्तार किया गया, जबकि 10,000 रुपए वह पहले भी ले चुका था।

*1 फरवरी, 2024 को फिरोजपुर (पंजाब) में विजीलैंस विभाग के अधिकारियों ने शिकायतकर्त्ता से 1500 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी सुभाष चंद्र के विरुद्ध केस दर्ज किया।

*2 फरवरी, 2024 को भोपाल (मध्य प्रदेश) में लोकायुक्त की टीम ने नर्मदापुरम में पटवारी देवेंद्र सहारिया को शिकायतकर्त्ता की दुकान का कब्जा दिलाने के बदले में 9000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।

*4 फरवरी, 2024 को गुना (मध्य प्रदेश) के 'बदरवास' गांव के पटवारी द्वारा रामकिशन लोधी से जमीन के इंतकाल के नाम पर 90,000 रुपए रिश्वत लेने के बावजूद, जमीन का इंतकाल उसके नाम न करने से दुखी होकर राम किशन लोधी ने ट्रैफिक सिग्नल के खम्भे पर चढ़ कर फांसी लगाने का प्रयास किया।

*7 फरवरी, 2024 को रामटेक (महाराष्ट्र) में खेत का इंतकाल दर्ज करने की एवज में शिकायतकर्त्ता से 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 'काचुरवाही' के पटवारी मुकेश को गिरफ्तार किया।

*7 फरवरी, 2024 को ही फिरोजपुर (पंजाब) के विजीलैंस ब्यूरो के अधिकारियों ने शिकायतकर्त्ता की भूमि का मालिकाना हक बदलने के सिलसिले में राजस्व हलका 'फिरोजशाह' में तैनात पटवारी सन्नी शर्मा के विरुद्ध 3000 रुपए रिश्वत लेने और पेटीएम ऐप के माध्यम से 2000 रुपए और मांगने के आरोप में केस दर्ज किया।

*8 फरवरी, 2024 को मंडी (हिमाचल प्रदेश) में एक पटवारी के विरुद्ध आपदा राहत राशि जारी करने के बदले में एक प्रभावित परिवार की महिला से 50,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में केस दर्ज किया गया, जबकि प्रभावित परिवार एक महीना पहले ही उसे 50,000 रुपए दे चुका था।

*8 फरवरी, 2024 को ही सारंगपुर (मध्य प्रदेश) में नामांतरण के एक केस में रिश्वत की राशि लेने के आरोप में पटवारी 'दुले सिंह भिलाला' को निलंबित किया गया।

पटवारियों द्वारा रिश्वतखोरी के ये तो चंद उदाहरण हैं, जिनसे स्पष्ट है कि पटवारियों का एक वर्ग किस कदर रिश्वतखोरी के महारोग की चपेट में आ चुका है। इसे दूर करने के लिए आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कठोर कार्रवाई की जरूरत है।

—विजय कुमार

# पटरी बाजार बनता नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला

*'बात करती हैं किताबें, सुनने वाला कौन है?*
*सब बरक यूं ही उलट देते हैं पढ़ता कौन है?' अख्तर नज्मी*

**लेखकों,** प्रकाशकों, पाठकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है हर साल सर्दियों में लगने वाले नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का। इसे दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेले में गिना जाता है। हालांकि फैडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स (एफ.आई.पी.) हर साल अगस्त में दिल्ली के प्रगति मैदान में ही पुस्तक मेला लगा रहा है और इसमें लगभग सभी ख्यातिलब्ध प्रकाशक आते हैं, बावजूद इसके नैशनल बुक ट्रस्ट के पुस्तक मेले की मान्यता अधिक है।क्योंकि यह मेला किताब खरीदने-बेचने के स्थान से कहीं अधिक एक साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव और लेखकों के मेल-मिलाप की तरह होता है।



पंकज चतुर्वेदी

वैश्वीकरण के दौर में हर चीज बाजार बन गई है, लेकिन पुस्तकें अभी इस श्रेणी से दूर हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ सालों से नई दिल्ली पुस्तक मेला पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। हर बार 1300 से 1400 प्रकाशक/विक्रेता भागीदारी करते हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या पाठ्य पुस्तकें बेचने वालों की होती हे। दरियागंज के अधिकांश विक्रेता यहां स्टाल लगाते हैं। परिणामत: कई-कई स्टालों पर एक ही तरह की पुस्तकें दिखती हैं।

यह बात भी तेजी से चर्चा में है कि इस पुस्तक मेले में विदेशी भागीदारी लगभग न के बराबर होती जा रही है। यदि श्रीलंका और नेपाल को छोड़ दें तो विश्व बैंक, विश्व श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ आदि के स्टाल विदेशी में अपनी प्रचार सामग्री प्रदर्शित करते दिखते हैं। फ्रैंकफर्ट और अबूधाबी पुस्तक मेला के स्टाल भागीदारों को आकर्षित करने के लिए होते हैं।




कुछ साल पहले तक विदेशी मंडप में पाकिस्तान की आमद ताकतवर होती थी। 8 से 10 प्रकाशक आते थे और खूब बिक्री भी होती थी। दोनों देशों के बीच ताल्लुकात खराब हुए तो बाकी तिजारत तो जारी रही, बस एक दूसरे के पुस्तक मेलों में सहभागिता बंद हो गई। 'विशेष अतिथि देश' के मंडप में जरूर किताबें होती हैं लेकिन केवल प्रदर्शनी के लिए वह भी कुछ ही दिन को इक्का-दुक्का स्टालों पर विदेशी पुस्तकों के नाम पर केवल 'रिमैंडर्स' यानी अन्य देशों की फालतू या पुरानी पुस्तकें होती हैं। ऐसी पुस्तकों को प्रत्येक रविवार को दरियागंज में लगने वाले पटरी-बाजार से आसानी से खरीदा जा सकता है।

नई दिल्ली पुस्तक मेला में बाबा-बैरागियों और कई तरह के धार्मिक संस्थाओं के स्टालों में हो रही अप्रत्याशित बढ़ौतरी भी गंभीर पुस्तक प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है। इन स्टालों पर कथित संतों के प्रवचनों की पुस्तकें, आडियो कैसेट व सीडी बिकती हैं। कुरान शरीफ और बाइबल से जुड़ी संस्थाएं भी अपने प्रचार-प्रसार के लिए विश्व पुस्तक मेले का सहारा लेने लगी हैं।

दुखद यह है कि पिछले 5 सालों में ऐसे स्टाल झगड़े और टकराव के स्थान बन गए हैं। आए रोज वहां कोई संगठन आकर उधम करता है। सबसे बड़ी बात ऐसे स्टाल पर दिन भर तेज आवाज में ऑडियो-वीडियो चलते हैं और धर्म के कारण उस पर कोई दखल देता नहीं, लेकिन उससे बाकी भागीदारों को दिक्कतें होती हैं।

पुस्तक मेला के दौरान बगैर किसी गंभीर योजना के सैमीनारों, पुस्तक लोकार्पण आयोजनों का भी अंबार होता है। कई बार तो ऐसे कार्यक्रमों में वक्ता कम और श्रोता अधिक होते है। यह बात भी अब किसी से छिपी नहीं है कि अब लेखक अमनच पर एक खास विचारधारा के लोगों का कब्जा है, जबकि ये स्थान पुस्तक मेले में भागीदारी करने वाले प्रकाशकों के लिए बनाए गए थे, ताकि वे अपने स्टाल पर पुस्तक विमोचन न करें, जिससे आवागमन के रास्ते बंद हो जाते हैं। जान कर आश्चर्य होगा कि पिछले साल अंग्रेजी के आथर्स कोर्नर में एक ऐसा सैमीनार हुआ जिसमें कठुआ में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपियों का बचाव किया जा रहा था।

पुस्तक मेले के दौरान प्रकाशकों, धार्मिक संतों, विभिन्न एजैंसियों द्वारा वितरित की जाने वाली नि:शुल्क सामग्री भी एक आफत है। पूरा प्रगति मैदान रद्दी से पटा दिखता है। कुछ सौ लोग तो हर रोज ऐसा 'कचरा' एकत्र कर बेचने के लिए ही पुस्तक मेले को याद करते हैं।

एक बात और बुद्धिजीवियों को खटक रही है कि पुस्तक मेले को राजनीतिक दलों के नेताओं के होर्डिंग पोस्टरों से पाट दिया जाता है, दुनिया के किसी भी पुस्तक मेले में वहां के मंत्री या नेताओं के प्रचार की सामग्री नहीं लगाई जाती है। छुट्टी के दिन मध्यवर्गीय परिवारों का समय काटने का स्थान, मुहल्ले व समाज में अपनी बौद्धिक ताबेदारी सिद्ध करने का अवसर और बच्चों को छुट्टी काटने का नया डैस्टीनेशन भी होता है-पुस्तक मेला।

pc7001010@gmail.com

# अयोग्य व्यक्तियों की पैरवी करते हैं राजनेता

**किताब** के कवर पर अंकित चेहरा सब कुछ कह देता है। यह छवि एक कठोर, दृढ़निश्चयी, 'नो-बकवास' पुलिस प्रमुख की है, जिसका असाधारण जीवन 'मैडम कमिश्नर' में परिलक्षित होता है, जो शीर्षक उसने अपनी पुस्तक के लिए चुना है।

भारतीय पुलिस सेवा की प्रत्येक महिला अधिकारी, प्रत्येक पुरुष अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित कई अन्य सिविल सेवाओं के प्रत्येक अधिकारी को भी यह पुस्तक पढ़नी चाहिए।

इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि बुराई से लड़ा जा सकता है और बुराई से लड़ना चाहिए। एक आई.ए.एस./आई.पी.एस. ऐसा करने के लिए अधिकारी को रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है।

वे मूल्य जिन्होंने मीरान बोरवंकर को आई.पी.एस. में अपने करियर के दौरान मार्गदर्शन किया। हमारे देश के संविधान की शपथ लेने वाले प्रत्येक अधिकारी को इसे पढ़ने और पचाने की जरूरत है। यह दुखद है कि 'सेवा' अधिकारियों की बढ़ती संख्या यह भूल गई है कि वे मूलत: इस देश के लोगों के वे 'सेवक' हैं। केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए वे राजनीतिक वर्ग के साथ मेल-जोल रखते हैं और अनैतिक आदेशों का पालन करते हैं, जो अक्सर मौखिक रूप से दिए जाते हैं।

पंजाब के फाजिल्का में जन्मी मीरान चड्ढा बोरवंकर ने विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे वह भूल-भुलैयां के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों पर कायम रहीं। उन्हें इसकी कीमत मुंबई महानगर का पुलिस प्रमुख न बनाकर चुकानी पड़ी, जो महाराष्ट्र में एक पुलिस अधिकारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित और सबसे महत्वपूर्ण नौकरी थी।

मीरान ने शुरूआत में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-सेवा में अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू की। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि लेखांकन उसके बस की बात नहीं है। स्वभाव से, उसे लगा कि वह एक पुलिस अधिकारी के जीवन के लिए उपयुक्त है। उनके अपने पिता जूनियर सुपरवाइजरी रैंक में एक सफल पुलिस अधिकारी थे। प्रमुख पुलिस सेवा में रहते हुए भी वह अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के विचार से रोमांचित थी।

उसका कहना है कि मेरे अपने पिता भारतीय डाक सेवा में सीधे भर्ती हुए थे। वरीयता क्रम में वह सेवा मेरी पहली पसंद थी, लेकिन 1952 में जब मैंने प्रतिस्पर्धा की तो नियमों के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वालों को अन्य सिविल सेवाओं की तुलना में पुलिस सेवा आबंटित करना अनिवार्य कर दिया गया। इस तरह मैंने खुद को वर्दी पहनते हुए पाया। मुझे भाग्य की उस विचित्रता पर कभी अफसोस नहीं हुआ। यह अन्याय के पीड़ितों की मदद करने के मेरे स्वभाव के अनुकूल था। उसकी किताब को पढ़ते हुए, मैंने निष्कर्ष निकाला कि मीरान मेरे दिल के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी थी। यह जानकर संतुष्टि होती है कि हमारे पास आई.पी.एस. के महाराष्ट्र कैडर में मीरान के अनुरूप अधिकारी हैं, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण सदानंद दाते हैं, जो वर्तमान में ए.टी.एस. (आतंकवाद विरोधी दस्ता) के प्रमुख हैं। जिसके कठोर सिद्धांतों और ऊंचे मूल्यों को राजनीतिक व्यवस्थाएं केवल इस कारण से पसंद नहीं करतीं कि सत्य और न्याय उनकी प्राथमिकताओं की सूची में ऊपर नहीं हैं।



जूलियो रिबैरो
(पूर्व डी.जी.पी. पंजाब व पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी)

जब निर्विवाद निष्ठा और योग्यता वाले अधिकारियों (और महाराष्ट्र के आई.पी.एस. कैडर में ऐसे कई अधिकारी हैं) को शहर के पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है, तो जनता राहत की सांस लेती है। उनकी पहचान लोगों को इस बात से पता है कि उनके अधीन काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं ने अच्छी बातें फैलाई हैं। बहुत कुछ नेतृत्व पर निर्भर करता है। यदि नेता भ्रष्टाचार को अस्वीकार करता है, तो क्षेत्र के पुरुष और महिलाएं सावधान हो जाते हैं।

ऐसा कहने के बाद, अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि गलत लोगों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा उन पदों पर नहीं पहुंचाया जाए जहां नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा खतरे में हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में आने के बाद राजनीतिक वर्ग इस मूलभूत कारक की उपेक्षा करता है और अक्सर इस उच्च पद पर आसीन होने के लिए गलत व्यक्ति को चुनता है। राजनेताओं की पसंद सत्ता में बने रहने के संकीर्ण हितों से निर्देशित होती है जो उन्हें प्रभावशाली व्यक्तियों को खुश करने के लिए प्रेरित करती है जो नौकरी के लिए अयोग्य व्यक्तियों की पैरवी करते हैं।

चूंकि सत्ता में बैठे लोग ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद पर नियुक्त करने के खिलाफ नहीं हैं, जैसा कि हाल ही में मुंबई में हुआ। नागरिकों, जो अंतत: ऐसी गलत नियुक्तियों की कीमत चुकाएंगे, को साहस अपने हाथों में लेना चाहिए और एक सूची प्रदान करनी चाहिए।




जब सरकार को सेवानिवृत्त हो रहे संजय पांडे के स्थान पर नए आयुक्त का चयन करना था तो मैंने यह प्रयास किया। एक व्यक्तिगत नागरिक के रूप में, भले ही वह वर्षों पहले मुंबई का पुलिस आयुक्त रहा हो, मैंने प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्र को लिखा था कि मुंबई के नागरिक अच्छी सेवा के हकदार हैं और ऐसी सेवा सिटी पुलिस द्वारा प्रदान की जा सकती है। यदि उसके पास एक अच्छा नेता है, तो मुख्य आवश्यकता न केवल वित्तीय, बल्कि बौद्धिक भी होनी चाहिए।

मैंने वरिष्ठता क्रम में तीन अधिकारियों के नाम दिए जिनमें विवेक फणसलकर, प्रदन्या सरोदे और सदानंद दाते शामिल थे। जब विवेक का चयन हुआ तो मुझे खुशी हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर एक अकेला योद्धा आगे बढ़ सकता है तो क्या होगा। यदि मेरे विचार के सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित अन्य संबंधित नागरिक लेख पर या मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। मेरा मानना है कि हमारा यह कर्त्तव्य उन लोगों के प्रति है जो सेवा के अंतिम उपयोगकर्त्ता हैं। उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा इस सेवा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जो अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करती है। सरकार को कानून और संविधान द्वारा उन लोगों को सुरक्षित सुरक्षा वातावरण प्रदान करने का आदेश दिया गया है जिन्होंने उन्हें चुना है।

मीरान बोरवंकर जैसी एक अधिकारी ने उन लोगों के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन किया जिनकी वह सेवा करती थी। जिन लोगों ने उनकी किताब पढ़ी है वे मेरे निष्कर्षों से सहमत होंगे। उसने तथ्यों को वैसे ही दोहराया है जैसे वे सामने आए थे। मैं इस तथ्य से विशेष रूप से प्रभावित हुआ कि यद्यपि उन्होंने याकूब मेमन की फांसी देने की वकालत की थी। याकूब की विधवा ने अपनी बेटी के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में मदद के लिए उनसे संपर्क किया था। मीरान ने फैसला किया कि पिता के पापों का बोझ उसकी बेटी पर नहीं डाला जाना चाहिए और उसने स्वेच्छा से उस दस्तावेज को प्राप्त करने में लड़की की मदद की। कठोर, दृढ़निश्चयी और बकवास न करने वाली 'मैडम कमिश्नर' ने अपने पाठकों को अपना दयालु और स्त्री पक्ष दिखाया।

jfr5529@gmail.com

# जीते कोई भी : पाक में सेना का दबदबा कायम रहेगा

**पाकिस्तान** सेना को अलविदा कहने के समय पूर्व सेना प्रमुख जनरल जावेद कमर बाजवा ने 22 नवम्बर 2022 को एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सेना राजनीति में दखलअंदाजी बंद करेगी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नापसंद और जनरल बाजवा के चहेते लैफ्टिनैंट जनरल आसीम मुनीर को 24 नवम्बर को पाकिस्तान के 30वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश का 17वां सेना प्रमुख नियुक्त किया।

सेना प्रमुख मुनीर ने अब जबकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को सम्पन्न आम चुनाव से पहले विशेष तौर पर विद्यार्थी वर्ग से मुलाकात करते समय वोटों के लिए खरीद-फरोख्त जैसे धंधे को अपराध घोषित करते हुए कहा था कि सेना लोकतंत्र में विश्वास रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि सेना उस समय तक विधान पालिका और कार्य पालिका में दखल नहीं देती जब तक कि हालात काबू से बाहर न हो जाएं। इन चुनावों में बेशक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ या कोई अन्य जीत हासिल करे मगर पाकिस्तान के जरनैलों का दबदबा कायम ही रहेगा। इन सब बातों को जानने के लिए पूर्व की बातों पर नजर दौड़ाना जरूरी है।

पाकिस्तान सेना के पहले कर्त्ता-धर्ता जनरल अयूब खान ने 17 जनवरी 1951 को सेना की कमान संभाली और वह लगभग 8 साल सेना प्रमुख के पद पर रहे। अयूब खान ने हमेशा ही इस बात की वकालत की थी कि सेना को सियासत से दूर रखा जाए मगर जब 24 अक्तूबर 1954 को देश की राष्ट्रीय असैंबली भंग कर दी गई तो अयूब खान ने रक्षामंत्री का पद भी मंजूर कर लिया मगर सेना प्रमुख का पद नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ ही बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया।

राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्तूबर 1958 को राजनीतिक पार्टियों, संसद, राज्य सरकारों और संविधान को भंग कर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। और अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। 24 अक्तूबर 1958 को अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और सिकंदर मिर्जा को देश निकाला दे दिया गया। जनरल याहिया खान ने 26 मार्च 1969 को देश की बागडोर संभाली और एक बार फिर से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने थोड़े समय के लिए 20 दिसम्बर 1971 को लोकतंत्र की बहाली तो की मगर भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। कुछ इस तरह ही जनरल वहीद काकर ने नवाज शरीफ के साथ किया और फिर मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ को गद्दी से उतार दिया। जनरल बाजवा के सहयोग से इमरान खान देश के प्रधानमंत्री बने। जब लैफ्टिनैंट जनरल आसीम मुनीर की बतौर आई.एस.आई. की कारगुजारी प्रधानमंत्री को रास न आई तो उसने 2019 में मुनीर को एक ओर कर दिया। फिर बतौर सेना प्रमुख मुनीर ने इस बात का बदला लेना था। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज 170 मामलों में एक हफ्ते के अंदर अदालतों ने तीन बार सजा सुनाई।



ब्रिगे. कुलदीप सिंह काहलों (रिटा.)

पहले 30 जनवरी को गुप्त दस्तावेज लीक होने के मामले में 10 साल, फिर अगले दिन भ्रष्टाचार से संबंधित तोशाखाना मामले में इमरान और उसकी पत्नी बुशरा को 14-14 वर्ष की सजा और अब 3 फरवरी को गैर-इस्लामी निकाह होने पर दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही इमरान और इसके कई साथियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया गया। इमरान का चुनाव चिन्ह (बल्ला) भी वापस ले लिया गया। यह सब कुछ लोकतंत्र के रक्षक कहे जाने वाले सेना प्रमुख की मर्जी के बगैर कैसे संभव हो सकता है?



**बाज वाली नजर :** पाकिस्तानी सेना का दस्तूर 'जो अड़ा, सो झड़ा' बरकरार रहेगा। कर्जे के बोझ के नीचे दबा पाकिस्तान इस समय आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक, न्यायिक, कार्यपालिका, सामाजिक और खाद्यान्न संकट से गुजर रहा है। बेतहाशा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुरबत और अल्पसंख्यक समुदायों पर हर किस्म के जुल्म ढहाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आतंकी हमले और ब्लूचिस्तान में हो रहे धमाकों की स्थिति आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। सबके चहेते क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान का घेरा काफी विशाल है और सेना में भी कुछ लोग उसके अभी भी प्रशंसक हैं। मगर जब उसका बल्ला ही हाथों से खिसक गया तो जेल में बंद खिलाड़ी कैसे खेलेगा?

इन गंभीर चुनौतियों के समक्ष पाकिस्तान को किसी ऐसे मजबूत नेता की जरूरत है। लोगों की नजरें मियां नवाज शरीफ पर टिकी हुई हैं। वैसे भी वह भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के चाहवान हैं। मगर बाजवा ने उसकी पेश न चलने दी। फिर भी दोनों देशों के दरमियान पिछले वर्ष 25 फरवरी को युद्ध विराम लागू करने की योजना और गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब कोरीडोर का निर्माण बाजवा की ही देन थी। जनरल मुनीर के कारण तो आतंकी सरगर्मियां बढ़ी हैं। इस कारण भारत सचेत ही रहे।

kahlonks@gmail.com

# शिरोमणि कमेटी की वोटें बनाने के लिए सिखों में उत्साह नहीं

**शिरोमणि** गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वोट डालने के लिए अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। लेकिन सिख जगत वोट बनाने में कोई उत्साह नहीं दिखा रहा है। शिरोमणि कमेटी की मतदान प्रक्रिया 21 अक्तूबर 2023 से शुरू हुई थी और मतदान की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तय की गई है लेकिन 30 जनवरी तक पिछले चुनाव के कुल वोटों के एक तिहाई से भी कम वोट दर्ज किए गए हैं।

इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष हरजिंद्र सिंह धामी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार शिरोमणि कमेटी को कमजोर करना चाहती है। इसे कुछ हद तक माना भी जाए, क्योंकि सरकार ने वोट बनाने की सामान्य प्रक्रिया की तरह वोट न बनवाकर यह जिम्मेदारी मतदाताओं पर छोड़ दी है।

जबकि एस.जी.पी.सी. के वोट बनाने की जिम्मेदारी बूथ स्तर के अधिकारियों (बी.एल.ओ.) को दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी शिरोमणि कमेटी सिख नेतृत्व, सिख बुद्धिजीवी वर्ग और शिरोमणि अकाली दल के विभिन्न गुटों के नेताओं, एस.जी.पी.सी. वोट बनाने की धीमी चाल से खुद को बरी नहीं कर सकते क्योंकि वोट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुए चौथा महीना हो गया लेकिन कहीं भी शिरोमणि कमेटी के कुछ महत्वाकांक्षी उम्मीदवारों के अलावा, सिख बुद्धिजीवी, अकाली नेता और शिरोमणि कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्त्ता वोट बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते नजर नहीं आ रहे हैं।

इसी लापरवाही का नतीजा है कि 30 जनवरी तक सिर्फ 15 लाख वोट ही दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले चुनाव के समय शिरोमणि कमेटी के कुल वोट 52 लाख 68 हजार से ज्यादा थे और इनमें हरियाणा से 3 लाख 37 हजार, 23 हजार हिमाचल के और चंडीगढ़ के 11932 वोट शामिल थे।



इकबाल सिंह चन्नी
(भाजपा प्रवक्ता पंजाब)

इस प्रकार, अकेले पंजाब की वोटों की संख्या लगभग 49 लाख थी, जबकि पिछले 12 वर्षों के दौरान जनसंख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है और विधानसभा के कुल वोटों की तुलना में 2022 तक लगभग 15 प्रतिशत वोटों की वृद्धि दर्ज की गई थी।

इस हिसाब से पंजाब में अब शिरोमणि कमेटी के वोटों की संख्या कम से कम 55 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सिखों की संसद कही जाने वाली संस्था शिरोमणि कमेटी के चुनाव में हिस्सा लेने वाले सिख समुदाय ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। अगर हम इसकी जांच करें तो एक बात तो साफ है कि शिरोमणि कमेटी सिख समुदाय के दिलों पर अपने प्रदर्शन की छाप नहीं छोड़ पाई जिसके कारण आम सिख समुदाय गुरुद्वारा व्यवस्था में रुचि नहीं दिखा रहा है। यदि शिरोमणि कमेटी और सिख नेता वास्तव में आम सिख संगत को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की आशाओं और अपीलों को छोड़कर खुद आगे आकर वोट करना होगा।

**क्या अकाली दल बादल सिख मुद्दों से बच रहा है? :** पिछले कई महीनों से सिख पंथ के सामने कई मुद्दे उठे हैं, जिनमें भाई बलवंत सिंह राजोआना, भाई गुरदेव सिंह काऊंके, गुरुद्वारा अकाल बुंगा, सुल्तानपुर लोधी में गोलीबारी की घटना और डेरा सच्चा सौदा द्वारा दोआबा नया नाम चर्चा घर का निर्माण शामिल है।




इन सभी मुद्दों पर सिख समुदाय में काफी विरोध है। इन सभी मुद्दों को लेकर शिरोमणि कमेटी भी काफी चिंतित नजर आ रही है और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठकें कर रही है और कमेटियां भी बना रही है। लेकिन भाई राजोआना और भाई काऊंके के मुद्दे अभी भी खड़े थे और इस बीच 2 और नए मुद्दे सामने आ गए हैं। अकाली दल बादल का नेतृत्व भी इन मुद्दों पर खामोश है, जबकि शिरोमणि कमेटी इन मुद्दों पर सरकार और डेरा सच्चा सौदा से सीधी लड़ाई शुरू करने की राह पर है।

गुरुद्वारा अकाल बुंगा के मुद्दे पर शिरोमणि कमेटी की ओर से विशेष आम बैठक बुलाई गई। इस सत्र में शिरोमणि कमेटी ने भगवंत सिंह मान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और मांग की कि उनके खिलाफ धारा 295ए के तहत पुलिस मामला दर्ज किया जाए और वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें।

डेरा सच्चा सौदा ने दोआबा क्षेत्र में एक बड़ा नाम चर्चा घर बनाने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। शिरोमणि कमेटी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि इससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष हरजिंद्र सिंह धामी ने भी सिख समस्या का समाधान नहीं होने पर संघर्ष शुरू करने की धमकी दी है।

लेकिन आश्चर्य की बात है कि खुद को सिखों की प्रहरी पार्टी कहने वाली शिरोमणि अकाली दल की 'पंजाब बचाओ यात्रा' के दौरान पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अपनी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और न ही भगवंत मान। अकाली दल को पंथक पार्टी तो कहते हैं, लेकिन देश के सामने आने वाले सिख मुद्दों पर संघर्ष करने से परहेज कर रहे हैं। अकाली दल के इस व्यवहार से पता चलता है कि शिरोमणि अकाली दल खुद को पंजाबी पार्टी के रूप में पेश करने की योजना बना रहा है। ऐसा लगता है कि अब अकाली दल सिखों के धार्मिक मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी शिरोमणि कमेटी पर छोड़ देगा और अकाली दल बादल खुद को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने पर ध्यान देगा।

iqbalschanni@gmail.com

## पाठकों के पत्र

# अदालतों में छुट्टियां कम हों

**पिछले** कुछ वर्षों से भारत की अदालतों में मामलों के भारी बैकलॉग और न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए छुट्टियों को कम करने या खत्म करने की लगातार मांग की जा रही है।

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अदालतों में अवकाश अवधि पर पुनर्विचार करने को कहा गया था क्योंकि यह वादकारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। यह मामला अभी भी लंबित है। एक संसदीय समिति की यह भी सिफारिश थी कि न्यायाधीशों को साल भर अलग-अलग समय पर छुट्टी लेनी चाहिए ताकि अदालतें लगातार खुली रहें और मामलों की सुनवाई के लिए हमेशा बैंच मौजूद रहे।

हालांकि कई मौकों पर न्यायाधीशों ने कई कारणों का हवाला देते हुए इन मांगों का प्रतिकार किया है। यह देखते हुए कि हमारे न्यायाधीश कितने अधिक काम के बोझ तले दबे हैं, हमारी न्याय प्रणाली की समस्याओं को दूर करने के लिए छुट्टियों को खत्म करना सही समाधान नहीं हो सकता है।

हालांकि तथ्य यह है कि छुट्टी के दिनों में न्याय देने की गति पर असर पड़ता है। सुप्रीमकोर्ट जो साल में 200 से कुछ कम दिनों के लिए खुला रहता है, में सभी संवैधानिक अदालतों के मुकाबले अदालत के कार्य दिवसों की संख्या सबसे कम है।

अधिकांश उच्च न्यायालय भी वर्ष में 200 से कुछ अधिक दिनों के लिए खुले रहते हैं। लंबित मामलों को देखते हुए एक वर्ष में अदालतों को अधिक से अधिक कार्य दिवसों पर काम करना चाहिए। इससे अदालतों में लंबित मामले तेजी से निपटेंगे।

-एडवोकेट आनंद अग्रवाल, इंदौर

पंजाब केसरी
जालंधर, R.N.I. Regd. No. 10117/65, पोस्टल रजि. नं. Pb/JL-192/2024-26
जालन्धर हैड ऑफिस: 0181-5067200/1, 2280104/7.
Toll Free No. 18001371800
फैक्स : 0181-2280111-14, 5063750, 5030036.
विज्ञापन : 0181-5067263, 5067253.
advt@punjabkesari.in, news@thepunjabkesari.com
सर्कुलेशन : 0181-5067251, 98151-65655.
स्वत्वाधिकारी हिंद समाचार लिमिटेड सिविल लाइन्स, जालन्धर के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक आर.एस. जौली* द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, स्वदेश प्रिंटिंग प्रैस जालन्धर से मुद्रित तथा सिविल लाइन्स, जालन्धर से प्रकाशित।
* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी।